[श्री गुणानन्द ठाकुर]

है, उसका सम्बन्ध पटना के साथ, जो बिहार की राजधानी है, बिल्कुल टूट गया है। पटना से लेकर बरारी घाट तक...

सभापति महोदय : मैं समझ गया हूँ, ग्राप बैठ जाइये। हर विषय को इस वक्त यहां उठा कर इस को जीरो-ग्रावर बना दिया जाये, यह ठीक नहीं है। श्री जार्ज फरनेन्डीज साहब ने एक महत्त्वपूर्ण चीज उठाई थी, जिसमें लोगों की जानें गई हैं, इसलिये मैंने उनको एलाऊ कर दिया दूसरी किसी बात को इस वक्त एलाऊ नहीं किया जा सकता।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : ग्राज शाम तक बयान ग्राजायें, इसके लिए उनको कहिये।

सभापति महोदय : ठीक है, उसके लिये कह दिया है खबर ग्राने पर दिया जायगा।

श्री गुणानन्द ठाकुर : सभापति जी, बिहार के सामने इस समय एक बड़ा संकट उपस्थित हो गया है, हजारों ग्रादमी रोज राजधानी जाते थे, ग्राज तक कभी स्टीमर-सेवा स्थगित नहीं हुई। ग्राप इस पर मन्त्री जी को बयान देने के लिए कहिये तथा गंगा पुल कब तक बनेगा, इस बारे में वह निश्चित ग्राश्वासन दें।

———

14 05 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE DISAPPROVAL OF GOLD CONTROL (AMENDMENT) ORDINANCE AND GOLD CONTROL AMENDMENT BILL—*Contd.*

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : It is not necessary for me to dilate or to repeat the arguments which have been pressed by my predecessors on the complete abolition of this Act. The Supreme Court held that the Act was justified on two grounds, firstly, the existence of large-scale smuggling totalling about Rs. 100 crores on an average and secondly the necessity to make the disposal of smuggled gold as difficult as possible. The hon. Minister may like to controvert the figures. But I say that there are 100 men for every single case of smuggling which is detected. The detection is that poor that a hundred men have to be employed for every case detected. In respect of checking the disposal of smuggled golds, the compartive statistics are that there are ten men for every case which has been brought to court under the Gold Cotnrol Act. These are my figures. The hon. Minister must say how many cases have been brought to court under the Gold Control Act. If they had not been brought to court under the Gold Control Act, we can only conclude that this Act has been used by the staff to enlarge their own income and to indulge in iliegal gratification. This is a common feature of this Act, and it is an Act of which Government should be thoroughly ashamed, unless Government are the protector of corrupt officials and smugglers, that they have this Act on the statute-book.

SHRI GEORGE FERNANADES (Bombay South) : Of course it is. Does he not know that ?

SHRI LOBO PRABHU : The next question which is a very important one for us is smuggling. We are concerned as much as Government to check smuggling. Here again, Government are the principal architect of smuggling. Why does smuggling exist ? Smuggling exists becuase there is a big difference between the indigenous and foreign prices of gold and it is such a big difference that no one but a fool would stop indulging Government are inviting smuggling because they keep this kind of inflation, and since the budget, inflation has gone up by 20 points. To that extent, Government have enlarged their invitation and has made it more profitable for smugglers to indulge in their trade.

The second reason for smuggling is the insecurity which Government have introduced in the way of our life. I hope my hon. friends would not mind this when I say that since the nationalsiation of banks, the price of gold has gone up by 20 per cent.

SHRI GEORGE FERNANDES : It is wrong.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : It is wrong.

SHRI GEORGE FERNANDES : Wherefrom did he get his figures ? Form the smugglers ?

SHRI LOBO PRABHU: From the Goldsmiths Association of Delhi.

SHRI JYOTIRMOY BASU: He must have got it from the supporters and financiers of the Swatantra Party who are indulging in black marketing in it.

SHRI LOBO PRABHU: If the hon. Minister wishes to correct the figures, he can tell us to what extent the price of gold has gone up since the nationalisation of Banks. People have lost faith in money; people have lost faith in banks and people can only repose faith in gold.

SHRI GEORGE FERNANDES: That is wrong. It is absolutely wrong.

SHRI LOBO PRABHU: I can allow my hon. frinds their opinion but the general body of the people have lost faith in banks.

SHRI J. M. BISWAS (Bankaura): Kindly ask the hon. Member to say something practical.

SHRI LOBO PRABHU: As long as insecurity continues, and as long as there are threats of nationalisation of this and that, people must invest in gold. The third reason for smuggling is...

SHRI J. H. PATEL (Shimoga): Let him define 'people'. For him, 'people' means only Swatantries and their supporters.

SHRI LOBO PRABHU: The third reasons for smuggling is inefficiency of this department. Sir, you yourself had been the chairman of a committe which recommended various measures to improve the organisation aganist smuggling, and you recommended more mechanisation and more staff. But Government have only increased the fines and the penalties for smuggling; they have only enabled the corrupt officials to have bigger threats against the people.

Now, these a endments have been brought forward because the Supreme Court struck down some sections of the Act. We have to see how far these amendments amend the sections which have been struck down by the Supreme Court. To begin with section 5 had been struck down. Under that section, the Administrator had been given powers to regulate licences for goldsmiths of various categories. Now, Government have deleted that but have proceeded in clause 5 (6) (a) to re-introduce exactly the same thing under section 27; the same kind of control is sought to be given to the Administrator by Government subject to the matter being placed before Parliament. This is trying to cheat the amendment made by the court by saying that they will not give the Administrator powers directly but they would give powers by asking Government to pass an order and then putting it up for adjudication before Parliament. I am afraid that this particular provision in clause 6 will again be struck down. I do not like to claim the gift of prophecy but almost every section which I had shown in the last Act to be unconstitutional has been held by the court in the same way. Therefore, I would like to ask the hon. Minister to address himself to another section which he is offering to the High Court to be struck down.

I would now come to section 8 where there is a provision that anybody may acquire or agree to acquire or buy or accept gold unless he knows or has reason to believe that such ornament being required to be included in a declaration has not been so included. This particular provision casting the burden of knowledge on the purchaser had been struck down by the Supreme Court in section 100, but now Government are trying to bring it back in the same way. I think the Supreme Court will have enough perspicacity or some lawyer will point out that under section 8 Government are re-introducing what has been struck down. Therefore, I would appeal that the words 'unless he knows or has reason the believe' may be struck out. Apart form that, it is practically very difficult for a person to ascertain from his buyer how much gold he has so that he could knew whether it comes within the orbit of the Act or not. Government are imposing a impossible condition, a condition which the Supreme Court said should not be imposed unless Government laid down definite criteria.

Coming to sec. 17, refineries have all been closed down except one in Calcutta. There were 17 of them.

That provision has been struck down. What is the position regarding these 17 refineries? Are they going to be reopened because they were struck down under the old Act? I would suggest this amendment that all refineries closed by the Administrator

[Shri Lobo Prabhu]

shall be reopened subject to this clause. This has to be applied retrospectively and the refineries reopened.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : He could move the amendment at the appropriate stage.

SHRI LOBO PRABHU : They are late. The Speaker will tell me that they will not be accepted for this reason. So, I may not get a chance at that time.

Sec. 32 has also been struck down, but it has been reproduced exactly as it is only subject to a general provision that the Central Government may, having regard to the needs of the trade, quantify the limit specified. When the section has been struck down, this kind of slight limitation will not do. The section may again be struck down.

Coming to sec. 88, very hard conditions have been imposed on the basis of vicarious liability. The dealer of a refinery has been made responsible for the conduct of any person employed by him if he controvenes any provisions of this Act. The Supreme Court has made it clear that vicarious liability should be according to reasonable standards. Here I would suggest a small amendment, if Government are going ahead with this, that this liability should arise only when the person is employed on the premises of the dealer. Many of the persons employed work in their own houses and it will be very unfair—unconstitutional—if the dealer is made responsible for the actions of an employee who is not on the dealer's premises. I do hope this would be accepted.

I would also say that the time given for reporting infringements of the provisions should be more than 2 days. This is too short a time. I would suggest 12 days. Again, the punishment of 3 years imprisonment for vicarious liability is a very savage one.

Now sec. 8 which has been completely struck down by the Supreme Court and is reproduced with very slight changes. This again will not pass luster, and will be hit. If Government are determined to let this section stand, they may make this small change that petty transactions should not be restricted to 25 grammes but may extend to 100 grammes, that is gold of the value of about Rs. 1500. I may explain that many people who come to sell gold in small quantities are not likely to sell gold above this quantity ; the others are sufficiently important to be traced. Government would be satisfying the Supreme Court judgment if they extend this limit to 100 grammes.

I have gone into the details because it is very vital that we should save our legislation from time after time being struck down by the courts. This is a responsible House with an unusualiy large number of lawyer members and it is a disgrace for us that our laws are struck down with this regularity by the Supreme Court. The amendments brought forward do not meet the objections raised by the Court.

Lastly, I would like the Minister to consider again whether it is fair to subject one small community to this kind of regimentation. Everyone in this country has a right to live by his own skill, by his traditional methods and traditional occupation

Why do you single out goldsmiths for this. It is true that the then Finance Minister had gold control as a fad ; he had also prohibition as a fad. If he left the Ministry on these grounds perhaps many of us may not have been dissatisfied. He has been made to leave the Ministry on other grounds. But these two were very valid grounds. Since you have got rid of the Minister on other grounds, I do say that you should give up gold control. It is an Act without a meaning, without a purpose and it is an Act against the Coustitution which will be struck down again.

SHRI K. RAMANI (Coimbatore) : Government have come forward with this amending Bill after some provisions of the Gold Control Act were struck down by the Supreme Court. They put forward the argument that the parent Act has been upheld by the Supreme Court and they say : that means what we have done is correct. They want to amend the Act according to their wishes. It is better for the Government to withdraw this Bill and allow the goldsmiths and ornament makers as well as dealers and refiners free in this country to do their work or business.

The Goverument say that they brought forward this Bill to stop smuggling of gold in this country, to bring out the hoarded gold and thirdly to bring down the price and stop block-marketing Have they succeeded in all these objectives They have completely failed Smuggling has increased manifold The Government know it very well In 1968 the number of seizures as well as the quantities seized by the authorities have gone up by three times comparad to 1963. That shows how smuggling is going up Government were not able to bring out the hoarded gold. First they asked the hoarders to invest in gold bonds and told them that there would not be any action against them That was an inducement to the blackmarketeers and hoarders. But was the result ? Practically nothing. Gold worth thousands of crores of rupees is there in the country. Government were not able to take any stringent action against them and confiscate all that hoarded gold. The price also has not come down. It has increased very much because gold is scarce in our country In my town, Coimbatore, the price of one gold sovereign is Rs 145. There is every chance of the price going up and I think the Government know it Their aim to bring down the price also has not succeeded.

In our country, we are having the production of gold only to meet one-third of our requirements Moreover, the demand for gold is increasing. Due to this, the Gold Control Act is producing nothing but widespread blackmarketing and hoarding. That is all Nothing else. That is the result. Therefore, I would like to say that the Government have completely failed to achieve their object in bringing this legislation, namely, to stop smuggling and unearth hoarded gold and bring down the price. Therefore, they have no right to bring forward such a legislation again saying that they want to control all these things.

Then there is the question of goldsmiths. Because of this legislation, the biggest chunk of goldsmiths and workers have suffered very much. We know all those stories. Previously, in 1968, when the then Finance Minister, Shri Morarji Desai, brought forward this Bill before this House, a number of examples were cited as to how goldsmiths' families had committed suicide and how they had lost all their earnings. They are not having any employment, and they are now in a down-and-out condition. Thousands of families are wandering in the streets of our country. But the Government promised to us at that time that they will all be rehabilitated and they will be helped to have some other source of employment. But this is their traditional employment. They did not get any other employment. That is why there is poverty and miserable condition among the goldsmiths.

Now, this goldsmith community also has been divided into groups by this Bill, by the practical implementation of this Bill ; they have been classified into certified goldsmiths, artisans and some assistants. The artisans will have to go to the dealers for their job of making gold ornaments or their work in relation to gold. So, the artisan actually becomes a slave of the dealer or the refiner. The independence of goldsmiths and the workers making ornaments has gone actually speaking. These three groups have become, because of this Act, completely jobless and proverty-striken. So, the Government must think over several times as to what right they have got in splitting this goldsmith community into several groups and stipulate conditions under which they have to go to the dealers and other big gold hoarders and blackmarketers, on which conditions alone they can now exist. They have lost their traditional employment and their avenue of employment.

In this Bill itself, we can see very clearly certain provisions. By seeking to amend sections 88 and 100 of the principal Act, they are telling us one thing. In order to control this blackmarketing or putting off this blackmarketing, they are imposing certain restrictions. What is the kind of restriction that they are imposing by the two clauses which amend these sections ? Certified goldsmiths and also dealers should declare, and when they purchase gold, they must understand the person, the indentity of the person, his address and everything. Suppose a violation of the Act takes place, the dealer will have to immediately inform the Gold Control office. Like that, the goldsmith also ; if he is called by the officers to prove that he has purchased the gold from a particular person, to prove those things, or, the onus of proof, that responsibility, rests upon the goldsmith as well as the dealer. That means a kind of policing

[Shri K. Ramani]

work has been given to them now. How is it correct ? The Government apparatus and the Government machiney are there. That machinery must take action under the Act, and exercise the power ; the Government have their own machinery for this purpose. Instead the Government are now trying to use these dealers and refiners as well as the goldsmiths to conduct this policing work, spying work, for them. They must tell the officials that a particular worker has contravended the rule and therefore, the Government must proceed against him and that they are prepared to come to the witness box ! This is going to be hated by the goldsmiths and the workers who are making ornaments in this country.

What is the use of passing such a measure ? Government say that they want to control gold prices, stop smuggling and unearth hoarded gold. If these are the objects then, in my view, government must try to have some other measures. For instance, they can think of taking over production and distribution of gold. In our country we are making very good gold ornaments using diamonds and exporting them because there is a good demand for them. Government can very well take over that trade also.

Government are very much mistaken if they think that they can stop smuggling by this measure. The only effect of this measure will be crushing gold smiths and dealers in gold ornaments. If they really are serious about stopping smuggling of gold, they should nationalise import and export trade. By under-invoicing of exports and over invoicing of imports businessmen keep a lot of money abroad which is used for smuggling of gold. By the nationalisation of import-export trade all these malpractices can be stopped. In that case, there will be no smuggling and, at the same time, goldsmiths will not be no deprived of their means of livelihood. The Government also must take stringent measures against smugglers and hoarders who are the real culprits.

The mere passing of this measure is not going to help them in any way. Now that the government have nationalised fourteen banks, this is a good opportunity to utilize these Banks services for distribution and trade in gold and for the export of gold ornaments. In that case, they will be able to stop smuggling, hoarding and blackmarketing. Otherwise, they will earn a bad name, harass the goldsmiths but will not achieve any of their objects, irrespeetive of the number of amendments that they may bring to the present measure. So, the people of this country, especially the goldsmiths, are not willing to have such kind of a legislation. Therefore, I press the government to withdraw this Bill.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : सभापति महोदय, हजारों साल पहले जब राजा सिक्का चलाता था सोने का, चांदी का, तांबे का, कौड़ियों का, जब कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था, उन दिनों सोने और चांदी की अहमियत थी। गांव का बनिया उस वक्त तक पैसा नहीं देता था कर्ज में जब तक वह जेवर नहीं रख लेता था। उन दिनों की मान्यताओं को हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति की आड़ ले कर भले ही कोई बढ़िया कहने लगे, लेकिन बहुत सी मान्यतायें बड़ी ही घटिया थीं। सोने के जेवर बड़े आदमी इस्तेमाल करते थे। राजा अपनी हथिनी को पहनाता था, बड़ा जमींदार अपनी घोड़ी को पहनाता था। आज भी आप को किराये की घोड़ी के ऊपर जेवर मिल जायेंगे जिस पर बैठकर दूल्हा बारात में चलता है दिल्ली की गलियों में। उन पुरानी मान्यताओं में लड़की को भी कमोडिटी समझा जाता था। इस लिए हिन्दू घरों में लड़की का कन्यादान होता है, हिन्दू लड़के का कन्यादान नहीं होता। जैसे आदमी अपनी घड़ी को सजाता है, फउन्टेनपेन को सजाता है वैसे ही वह अपनी औरत को जेवर से सजाया करता था। औरत के जेवर पहनने का मतलब है कि वह बराबरी के आधार पर कभी नहीं थी। वह भी एक कमोडिटी थी किराये की घोड़ी की तरह से या हथिनी की तरह से। यह जहालत का रिवाज जिस समय प्रारम्भ हुआ उसके बाद वर्षों तक वह चलता रहा। चाहे वह उस समय ठीक रहा होगा,

लेकिन आज के जमाने में बिलकुल आब्सोलिट बेकार और घटिया है। उन रिवाजों पर चलने वाले आधुनिक जमाने में तो फिट होते ही नहीं। मालूम होता है कि उनके दिमाग की सारी चूल ढीली है।

माने से घटिया धातु इस दुनिया में कोई और नहीं है। न तो उमसे हल की फाली बन सकती है और न कोई और पुर्जा बन सकता है। वह इतना मुलायम होता है कि आप उसको किसी भी काम में नहीं ला सकते। इस सोने के रिवाज से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर जो चोट पहुंचती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर सरकार में हिम्मत होती तो सोने को बिल्कुल बन्द कर देती हिन्दुस्तान में। उससे हिन्दुस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता आज के जमाने में। लेकिन इतनी बड़ी चोट जनतंत्र के अन्दर कभी कोई सकार कर नहीं सकती। इतनी बड़ी चोट करने से पहले कई कदम उठाने बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन इस दकियानूसी और घटिया सरकार ने कभी सपने में नहीं सोचा उस के बारे में, उठाने की बात तो अलग रही।

किसी भी पिछड़े हुए मुल्क में उत्पादन के साधनों का आधुनिकरण होना चाहिए, खपत का आधुनीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां खपत का आधुनकीरण हुआ है। जब सरकार तस्कर व्यापार की चर्चा करती है तो क्या तस्कर व्यापार में सिर्फ सोना ही आता है? नाइलान क्यों नहीं आता? वह भी आता है तस्कर व्यापार में, घड़ियां भी आती हैं तस्कर व्यापार में कोई फौलाद कारखाना नहीं मंगाता खपत की चीजें आती हैं। आज बड़े आदमियों ने सोने का रिवाज कम किया है, लेकिन वह जितना सोने पर खर्च करता था उससे कई गुना वह खपत की दूसरी चीजों पर करता है और अपना कंजम्शन ऊंचा उठाता चला जा रहा है। इस देश में प्रति व्यक्ति जो आय है उससे सौ गुना आदमी अपने कंजम्शन पर खर्च करता है। यह नम्बर 1 का देशद्रोह है और वह देश की कमर पर छुरा भोंकता है, चाहे वह सोना हो या कोई दूसरी चीज हो। सरकार ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया कि जो खपत का आधुनीकरण चालू है उसको मिटाया जाय। जो लोग खपत का आधुनीकरण अपने ढंग से करते हैं, मुल्क में और समाज में दबे और पिछड़े लोगों को मौका देते हैं कि वह सोने और चांदी के जेवर खरीदें। सरकार ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया।

यह भी हो सकता था कि सोना जमा करने वालों के लिए इनकम टैक्स के कानून बदल दिये जायें कि जो जेवर पहनता है उस आदमी की इतनी आमदनी तो मान ही ली जायेगी और उस पर इनकम टैक्स थोप दिया जायेगा। ऐसा करने की सरकार की हिम्मत नहीं होती यह सरकार इस को बन्द तो कर नहीं सकती थी क्योंकि बन्द करने से पहले जनतंत्र में पहली शर्त यह होती है कि उसमें लगे हुए जो लाखों लोग हैं उनका रिहेबिलिटेशन किया जाये। उनका रिहेबिलिटेशन करने की जिम्मेदारी सरकार पर आती है, लेकिन उनका रिहैबिलिटेशन करने की हिम्मत सरकार में थी नहीं। वह लोग इतने अच्छे कारीगर थे, वह घड़ियों के पुर्जे तक बना सकते थे, दूसरे बारीक काम कर सकते थे। जितना अच्छा काम सुनार कर सकते थे, उसको देखते हुए आज की इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी चीजें निकल सकती थीं, जिनमें उनको लगाया जा सकता था, लेकिन उनको उनमें लगाने की बात कभी सोची ही नहीं गई। धीरे-धीरे जो वित्त मंत्री थे उनके दिमाग में आया कि सोने पर पाबन्दी तो लगा नहीं सकते, सोने को खत्म तो कर नहीं सकते, इसलिए एक काम करो, सुनार तो सोने में खोट मिलाता ही है टांका लगाकर, उसमें सीधे ही सीधे खोट मिलवा दो। बस 14 कैरेट का सिल-सिला ले कर वह चली आई सोने में खोट मिलाओ। क्या इस तरह से मुल्क का फायदा होने वाला है? परिणाम यह निकला, जैसी पुरानी कहावत है कि कसौटी पर कस लो।

[श्री महाराज सिंह भारती]

अरे भाई, तुम्हारी तो डिक्लेअर्ड खोट है तुम कसौटी पर क्या कसोगे ? कौन खोट लेना चाहेगा और क्यों। असली मर्ज को पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई कि मुल्क की खपत के ऊपर पाबंदी लगाकर और इस तरह का मत बना कर कहते कि यह जहालत की निशानी है। जैसे तस्कर व्यापार देशद्रोह है, जैसे काला बाजार देशद्रोह है, उसी तरह से जेवर पहनना भी देशद्रोह है। चलाओ कोई बड़ा आन्दोलन वह हिम्मत तो होती नहीं, खोट पहनाने लगे। कौन खोट पहनेगा और क्यों खोट लेगा ? नतीजा हुआ कि सब कुछ टांय-टांय फिस्स हो गया। उधर मर गया स्वर्णकार बेचारा भूखा और इधर किसी ने खोट पहना नहीं। खरे के भाव में खोटा बनने लगा चारों तरफ आपके कानून का दिवाला निकल गया। उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा कि इतना घटिया कानून क्यों न वापस ले लें, क्यों न उसको खत्म कर दिया जाये। उसको किसी न किसी रूप में वह चलाना चाहती है। इसको चलाये रखने का लाभ नहीं होगा। लाखों लोगों को आप बेईमान बना रहे हैं। कानून खत्म होना चाहिए, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं।

हम इसको भी मानते हैं कि सोने का मोह छूट जाना चाहिए और सरकार के पास सोना रहना चाहिए। जनता के पास कोई सोने की जरूरत नहीं है। अगर मुल्क की तरक्की करनी है और खासकर एक पिछड़े हुए मुल्क की तो सरकार के पास सोना जाना चाहिए। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन इसके लिए आप वातावरण क्या बने रहे हैं, तैयारी क्या कर रहे हैं ? औरों की बात आप छोड़ दें। जो छोटे लोग हैं जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, जो देहाती लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उनकी बात आप छोड़ दें। लेकिन जो चौधरी हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनकी जहालत को क्या आपने निकाल बाहर किया है ? उनकी जहालत को भी आपने नहीं निकाला है। वे अपनी लुगाइयों के लिए बड़े बड़े जेवर बनवाते हैं और समझते हैं कि उन्होंने बड़ा भारी काम कर दिखाया है। जो प्रगतिशील लोग हैं वे भी सोने की चेन लगाये फिरते हैं। जो धर्म गुरु हैं वे भी कानों में मुद्रायें लटकाये फिरते हैं सोने की और जब कहा जाता है कि इसको क्यों लटकाये हुए हो तो कहते हैं कि ये पुरानी चली आ रही हैं। जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं और सदन के सदस्य हैं वे भी गले में सोने की जंजीरें लटकाये फिरते हैं। जो इस तरह से इसको भारतीय संस्कृति का प्रतीक समझते हैं वे समझते हैं कि वे बड़ी समझदारी का काम कर रहे हैं पहले इन प्रगतिशील लोगों का दिमाग तो साफ कर लो। लेकिन आप जड़ में जाना नहीं चाहते हैं। सही मानों में चोट करना नहीं चाहते हैं। चोट करना चाहते हैं सीधे सुनारों के पेट पर। उससे क्या मिलेगा ? क्या सरकार में उन सब को रिहैबिलिटेट करने की हिम्मत है और अगर है तो वह करके दिखाती। सोने पर लगा दे पाबन्दी अगर हिम्मत है तो। लेकिन पाबन्दी लगाने की तो हिम्मत नहीं है, रिहैबिलिटेशन करने की हिम्मत तो है नहीं। जिस तरह से आप इन बिलों को ला रहे हैं उससे सिवाय गलतफहमी पैदा होने के और कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप आदमियों को बेईमान बना रहे हैं। स्वर्णकारों को बेरोजगार कर रहे हैं। इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है।

अब तक जितनी बेवकूफियां आपने कर लीं। आगे से तो न करो। अब आपने अकलमन्दी करनी शुरू की है। एक अक्लमन्दी आप यह भी कर दें। इसको आप वापिस ले लें, यही अक्लमन्दी है। सुबह का भूला हुआ अगर शाम शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। आज इसको वापिस लेते हुए अगर आपको शर्म लगती है तो कल और

कल नहीं तो परसों इसको आप वापिस ले लें। इसमें ही सभी का कल्याण है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : पिछले सैशन में यह बिल आया था। इसके बाद यह एक्ट बना। जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो इसकी कुछ धाराओं को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। इससे गरीब लोगों का कुछ फायदा हुआ। इस एक्ट की बदौलत जिन पर इसका बुरा असर पड़ा था, उनका नजरिया मैं पेश करूंगा।

1947 में जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बने उस वक्त करोड़ों लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा और इधर से उधर आना पड़ा। उनको कितना कष्ट हुआ, उनका कितना नुक्सान हुआ, इसको सभी जानते हैं। तब लाखों की तादाद में लोग मारे गये थे। इस बिल की बदौलत भी हजारों नहीं बल्कि लाखों आदमियों को कष्ट का शिकार होना पड़ा। मैं देहात की बात कहता हूं। वहाँ ये गरीब लोग हैं, पैसे वाले लोग नहीं हैं। वहां पर छोटे-छोटे बेचारे दुकानदारों के दो चार घर हुआ करते थे जिनको लाला जी कहा जाता था। वे व्यापार करते थे। वे भी यहां से गायब हो गये है। कुछ लोग जेवर बनाया करते थे। मुश्किल से एक दो सुनार लोग होते होंगे, लेकिन वे भी वहां अब कतई नजर नहीं आते हैं। यह भी एक समाजी कत्ल हुआ है इस बिल की बदौलत। हर एक चीज के अच्छे और बुरे दोनों पहलू हुआ करते हैं। पहले जब यह बिल आया था उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसमें कुछ तो अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें हैं लेकिन कुल मिलाकर इससे फायदे के बजाय नुक्सान ज्यादा होगा। हकूमतें अव्वाम के फायदे के लिए बनती हैं, कानून अव्वाम के फायदे के लिए बनते हैं। लेकिन इस कानून से अव्वाम को नुक्सान हुआ।

सभापति महोदय, आप खुद बड़े इनकलाबी है। मैं आपको 1917 की बात याद दिलाना चाहता हूं। इस प्रसंग में वह मुझे याद आ गई है। तब स्टालिन रूस से किसानों को खत्म करना चाहता था और उसने कलैक्टिव फार्मिंग के नाम पर लाखों आदमियों को खत्म कर दिया। उसने एक आर्टिकल लिखा था "डिज्जी विद सक्सैस"। उसमें उसने लिखा था कि अंधे मत हो जाओ। उस वक्त लाखों की तादाद में किसान कलैक्टिव फार्मिंग के नाम पर तबाह और बरबाद हुए थे। उससे मैं इसको कम्पेयर नहीं करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आपके पास दुबारा भेजा है और इशारा किया है कि इससे नुक्सान है एक तबके को। हम रेवोल्यूशनरी स्टेप ले रहे हैं और हमको लेने भी चाहिए। वे हम लोगों के, अव्वाम के हित में ले रहे हैं। किसान के हित में, गरीब के हित में, बैकवर्ड क्लासिस के हित में, हरिजनों के हित में, आदिवासियों के हित में हम उन स्टेप्स को ले रहे हैं। लेकिन जहां तक इस बिल का ताल्लुक है चन्द आदमियों को छोड़ कर ज्यादातर गरीब लोग ही इस में फंसे हुए हैं, उन्हीं को नुकसान इससे हो रहा है। इस वास्ते इस बिल को जब आप पास करें तो इस पर आप जरूर विचार करें। कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। उनकी जरूरत भी थी और यह कांग्रेस की घोषित नीति भी है। क्या मैं इसको भी प्राग्रेसिव स्टेप समझूं अगर आप इस पर दुबारा सोचने का वादा करें और कूल थिंकिंग इस पर करें? आप अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग लगाने की बात सोच रहे हैं। वह भी हमारे प्रोग्राम में है। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ जिद्द की बात नहीं है। लाखों आदमियों की किस्मत इस बिल से वाबस्ता है।

आपने जिन तबदीलियों के बारे में सोचा है, जिन माडिफिकेशंज के बारे में सोचा है, वे अच्छी हैं। दफा 5, दफा 27, दफा 32, दफा 46, दफा 88, दफा सौ में जो कुछ भी कानूनी बातें नजर आई जिनके बारे में हमारे लोबो प्रभु जी ने भी दूसरी तरह से कहा है और

[श्री रणधीर सिंह]

सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा ध्यान उनकी तरफ खींचा है, वह ठीक था। कानूनी तौर पर अनटेनेबल बातें थीं। सुप्रीम कोर्ट ने दुबारा इसको भेजा कि इनको ठीक किया है। आपने एडमिनिस्ट्रेटर को डिक्टेटर बना दिया था, उसके लिए भी उसने कहा कि ठीक करो। 27 में लाइसेंस वगैरह के लिए जो कंडीशंज आपने रखी थीं वह भी ठीक हैं। 32 में प्राइमरी गोल्ड के सिलसिले में और 46 भी जो बातें आई हैं, वे भी सही हैं। कुछ खामियां थीं जिन को आप दूर भी कर रहे हैं। इसमें कुछ और तबदीलियां भी आप ला रहे हैं। उनके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। कुछ अगर अच्छा काम किया गया है, जिद्द में आकर उसको अगर बुरा कहा जाये तो वह ठीक बात नहीं है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस बात को मैं मानता हूँ कि अगर जरूरत हो तो रीजनेबल रेस्ट्रिकशंज लगाई जा सकती हैं। किसान का जो अनाज है वह दिल्ली से उत्तर प्रदेश में नहीं ले जाया जा सकता। उस पर पाबन्दी है और यह रेस्ट्रिकशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत लगाई गई है। मैं इसको भी मानता हूँ कि सोना एक कीमती चीज है। फारेन एक्सचेंज की कमी है और फारेन एक्सचेंज के बगैर आजकल कुछ भी नहीं हो सकता है। सोने से ही हमें तोपें और बन्दूकें मिलती हैं जो कि हमारी डिफेंस के लिए जरूरी हैं। करेंसी नोट कोई नहीं लेता है। इस वास्ते जहां हमको देश को मजबूत बनाना है वहां लाखों लोगों की रोजी पर लात भी नहीं मारी जानी चाहिए। पेट में बच्चे की आस रखकर पास जो बच्चा है, उस को मार देना कोई अकलमन्दी नहीं है। स्मगलिंग की बात कही गई है तथा दूसरी बातें बताई गई हैं। वे चीज चली आ रही हैं। लेकिन उनको कानून से रोका नहीं जा सकता है। उसके लिए कारेक्टर बिल्ड किया जाना चाहिए, नेशन को खुद अपनी इस जिम्मेदारी को समझना होगा। तब जा कर यह जो स्मगलिंग वगैरह है या ब्लैकमार्किटिंग वगैरह है इसको रोका जा सकता है।

मैं प्राइम मिनिस्टर से और गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि यह जो स्टेप आप ले रहे हैं यह रेट्रोग्रेड स्टेप है और इस पर आप दुबारा विचार करें। इसके बारे में कैबिनट फिर से गौर करे। पार्टी की मीटिंग बुलाने की जरूरत हो तो वह भी बुलाई जा सकती है। लाखों आदमियों को बेरोजगार नहीं किया जाना चाहिए। आजकल पचास रुपये की नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। एक नौकरी हो तो हजारों लोग उसको पाने के इच्छुक होते हैं। जो बरबाद हो गये है उनको आप रिहैबिलिटेट करें। आप कहते हैं कि इतना कर्जा आपने दिया है, इतने करोड़ आपने खर्च कर दिये हैं, लेकिन मुझे तो वह कहीं नजर नहीं आया है। उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए मुझे कोई जामे स्कीम नजर नही आई है, रुपया भी नजर नहीं आया है।

अलबत्ता यह जरूर है कि लाखों आदमी सोते जागते, दिन-रात, हमें और हमारी सरकार को कोसते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि उनका कोसना गलत नहीं है, सही है। लेकिन देर आयद, दुरुस्त आयद। इस वक्त जो एमेंडमेंट्स लाई गई हैं, उनसे मर्ज की थोड़ी बहुत दवा हुई है। लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं फिर ऐसा न हो कि कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाये और इस कानून के कुछ प्राविजन्ज फिर स्ट्रक डाउन हो जायें। मैं इन एमेंडमेंट्स की पूरे जोर से हिमायत करता हूँ। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले पर दोबारा गौर किया जाये और मुनासिब वक्त पर इस सारे कानून को ही दफना दिया जाये। इससे देश का भला होगा और पार्टी का नाम भी ऊंचा होगा।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose this anti-people measure, joining many of our colleagues in this House. Sir, I think this is the only Act which has received the united opposition of all the Parties in this House whether they are Communist, Socialist, DMK, right or left Congress. All Parties and all shades of opinion are against this measure.

I think this is one of the Acts which is more honoured in the breach than in the observance. I think the only other Act which can compete with this is the Dowry Act. I would like to recollect and remind this House the conversation between Prof. Ranga and the then Finance Minister, Mr. Morarji Desai just one year back. Mr. Morarji Desai was piloting this Bill. Prof. Ranga remarked, 'He is incorrigible'. Then Mr. Morarji Desai said, 'I am happy that he thinks that I am incorrigible and there is no hope for me.' Then Prof. Ranga replied 'We can only throw him out some day.' Sir, that day has come. Whether we like it or not, Mr. Morarji Desai has gone out. I think this Act also should have gone along with Mr. Morarji Desai.

I would like to caution the Minister. Like the Delphic Oracle Prof. Ranga said and it has happened. Minister Mr. Sethi also should be doubly cautious about this. Sir, not only the DMK says that it is anti-people but all these shades of opinion and all Parties in this country and most of the associations concerned with gold have said that this Act cannot work in this country. But the ex-Finance Minister was adamant. He said that this Act has to be there on the statute book whether it works or not. He said he has got many laudable objects before him when he brought forth this measure. He said by bringing this measure, the price of gold can be reduced. But it has been proved beyond reasonable doubt that instead of reducing the price of gold, the price of gold has gone up. Again. he said that by bringing this measure the clandestine import of gold into this country will be stopped or it will decrease. What is the achievement of this Bill for so many years? Instead of reducing smuggling this country has been that there is an increase in the smuggling of gold. It has been pointed out in this House that the seizure of smuggled gold has increased from 1800 kg. in 1963 to 4522 kg. in 1968. That is the achievement of this measure.

The third laudable object of this measure was to reduce the consumption of gold in the country, in other words, to wean the people away from gold, the yellow metal. The Finance Minister said that the people must be persuaded to get rid of this habit of liking and loving this yellow metal. But was he able to do it? Definitely not. Starting from an ordinary uneducated woman in the rural areas, up to the Prime Minister, no lady has abandoned this yellow metal and her love for that yellow metal. So, that objective is also gone.

The fourth objective was to bring out hoarded gold. This objective, though it is a laudable one, has not come into effect. According to Shri Morarji Desai, there was Rs. 3,000 crores worth of gold hoarded as ornaments or as gold bars. But what is the achievement of Government in this regard? Have they been able to get at least half of this hoarded gold to the Reserve Bank of India or the Treasury? Definitely not. I do not think that they have got even Rs. 50 to 60 crores worth of it.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani) : On what authority does he say that it is Rs. 3,000 crores?

SHRI G. VISWANATHAN : When he piloted the Bill, last year, he said that the overage estimate was that ; he did not vouch safe for it, but he said that there would be about Rs. 3,000 crores worth of hoarded gold in the country. But not more than Rs. 50 to 60 crores has come to Government. So, the fourth objective also has not been achieved.

So, what has been the achievement of of this Act? The only achievement has been to drive out the goldsmiths from their profession. There have been hundreds of cases of suicide. So many thousands have been made orphans and widows, That is the only achievement which is there to the credit of this Act. Still, we find that Government are persisting with it and they say that they are going to improve this Bill bit by bit. I am not interested in improving the Bill this way or that way so as to satisfy the judgment of the Supreme Court or the High Court. We are not interested in improving this Act at all. This is an anti-people measure and this

[Shri G. Vishwanathan]

has to go some day or the other. This Act is dead against the profession of goldsmiths.

When we pointed out that this had been harassing the goldsmiths like anything, Shri Morarji Desai gave a contrary opinion, and he said :

> "It is wrong to say that they have gone out of profession. It is my information from some of the goldsmiths themselves who are completely honest and who know these things that they have done more business after 14 ct. had gone",

and he said that the old ornaments which were changed had brought any amount of money to the people and the earned more and not less. This was what he said.

The whole country feels that this measure has been harassing the people. The goldsmiths have gone out of employment. Hundreds of families are starving and hundreds of them have committed suicide. In spite of this, in spite of the public opinion, the then Finance Minister said that they had earned more money and not less. If this is the attitude which Government have, then is it worth its name at all ? If this measure presists, then it will only act to the detriment of common men, the artisans and the goldsmiths.

My final appeal to Government would be, if they claim to be a popular Government, to take into consideration the views expressed by all sides of this House and all shades of political opinion that this measure should be withdrawn and see that this Act is scrapped.

श्री बेणी शंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय, जब 1963 में इस विधेयक का पूर्ववर्ती गोल्ड कंट्रोल ग्रार्डर के रूप में आया था, तब से यह एक विवादास्पद विषय बना हुआ है और यह गोल्ड (कंट्रोल) ग्रार्डर न होकर केवल गोल्डस्मिथ (कंट्रोल) ग्रार्डर बन गया है। सरकार सोने पर तो कोई नियंत्रण नहीं कर सकी है, लेकिन स्वर्णकारों पर नियंत्रण इस प्रकार किया गया है कि ग्राज वे बेचारे बेकारी ग्रौर भुखमरी के बीच पिसे जा रहे हैं।

ग्राज श्री मोरारजी देसाई वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। उन के जाने के साथ साथ हमारी ग्रर्थनीति में कुछ नए मोड़ लाये जा रहे हैं। हम उसे पसन्द करते हों या न, यह दूसरी बात है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, किन्तु बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जिन लोगों को फायदा होना चाहिए, उन की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

मैं माननीया प्रधान मंत्री जी से जो ग्राज ग्रर्थ मंत्री भी हैं, माननीय सेठी जी के माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस का एक प्रैक्टिकल व्यू लेवें ग्रौर कम से कम इस गोल्ड कंट्रोल ऐक्ट की ग्रावश्यकता ग्रौर उपादेयता के ऊपर नये सिरे से विचार करें।

15.00 hrs.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, मंत्री शब्द भी क्या ग्रौरत मर्द हुग्रा करता है ? ग्रर्थ मंत्रिणी कहना भी क्या ठीक है ?

श्री बेणी शंकर शर्मा : मैंने ग्रर्थ मंत्री ही कहा है, ग्रर्थ मंत्रिणी नहीं कहा है।

मैं कह रहा था कि ग्राज इस गोल्ड कंट्रोल (ग्रमेंडमेंट) बिल की न ग्रावश्यकता है ग्रौर न उपादेयता ही। मैं उन बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहता जो मेरे पूर्व वक्ताग्रों ने कही है किन्तु हमने देखा है कि इस स्वर्ण नियंतरण के कारण किस प्रकार सैकड़ों की संख्या में स्वर्णकारों ने ग्रात्महत्या की है। लाखों की संख्या में वे बेकार हो गए ग्रौर ग्राज करीब-करीब 20 लाख स्वर्णकार भूख के दरवाजे पर खड़े हैं।

ग्राज हमारी सरकार की दशा उस बन्दरिया जैसी है जो ग्रपने बच्चे के मृत शरीर को चिपकाये हुए रहती है, जो उस बच्चे के मरने के बाद भी उसे छोड़ना नहीं चाहती। ग्राज यह विधेयक एक तरह से मृत है। इसकी कोई ग्रावश्यकता नहीं है। फिर भी हमारी प्रधान

मंत्री उसको उसी बन्दरिया की तरह अपने शरीर से चिपकाए फिर रही हैं।

सभापति जी, मैं जानता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री जी को हमारी पार्टी और हम लोगों से कुछ एलर्जी है, हमारी बात शायद वह सुनना पसन्द न करें। लेकिन उन्हीं के नवजात मित्र एस० एम० बैनर्जी एन्ड को० जो उनके आज बड़े हिमायती हैं, बड़े रक्षक हैं, उन्हीं की बातों पर कम से कम वह ध्यान दें। आज इस सदन में करीब करीब अगर मैं यह कहूं कि एक मत से यह आवाज है और यह मांग है कि फौरन यह बिल वापस ले लिया जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी।

मैं आप के सामने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का वह रेजोल्यूशन आप के सामने पेश करना चाहता हूं। आज इस सदन में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या अधिक है। वे बहुमत में हैं। उनमें भी बहुत से लोग इस के विरुद्ध हैं। लेकिन कांग्रेस ऐज ए होल पार्टी, इसकी 1966 में ए० आई० सी० सी० की मीटिंग में श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने जो प्रस्ताव रखा था उसे मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं।

> "It is now nearly three years that the Gold Control Order was passed by the Parliament. Unfortunately, the Act has not been implemented in the way and spirit it ought to have been. On the contrary, the various steps subsequently taken by the Government have watered it down from the backdoor. Therefore, the Act has failed to achieve its objective, the result being that it has deprived about one million goldsmiths of their livelihood and also large number of people of their instrument of credit. It has also cost the Government of this country crores of rupees in the form of loans income-tax and sales-tax etc. Therefore, the meeting of the AICC urges upon the Government to abolish the Gold Control Order."

यह प्रस्ताव वहां रखा गया। करीब करीब पास होने वाला। उसी वक्त प्रधान मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि चूंकि सरकार की तरफ से इस पर विचार हो रहा है इसे वापस ले लिया जाय। लिहाजा यह वापस ले लिया गया। इसके बाद प्रधान मंत्री ने 1966 के स्वर्णकारों के आन्दोलन के फलस्वरूप कुछ रियायतें स्वर्णकारों को दीं किन्तु उन कंसेशंस से उनका कोई फायदा नहीं हुआ।

एक बात की ओर और मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी सरकार का कुछ रवैया सा हो गया है कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ऐक्ट को चुनौती दी जाती है और वहां से किसी ऐक्ट की धाराओं को गैर कानूनी करार दिया जाता है तो हमारे मंत्री एक दूसरा विधेयक दूसरे रूप में लाने की चेष्टा करते हैं। किन्तु उसका परिणाम क्या होगा इसको वह नहीं सोचते। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें भी बहुत सी धाराएं सुप्रीम कोर्ट के सामने जा कर गैर-कानूनी करार दी जायेगी।

इसलिए मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करूंगा कि अब समय आ गया है, नेशनलाइजेशन के बाद हमारी अर्थ नीति को एक नया मोड़ दिया जा रहा है और इस बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए मोरार जी भाई की जो जिद थी, कम से कम इस गोल्ड कंट्रोल के सम्बन्ध में तो यह सिद्ध हो गया है कि वह बिल्कुल निरर्थक थी। उस से कोई देश का फायदा नहीं हुआ। देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए इस बिल को सरकार वापस ले ले।

श्री यश पाल सिंह (देहरादून) : सभापति महोदय, अपोजीशन ने ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ मेम्बरों ने भी जिनकी कांग्रेस में 20-20 साल की 30-30 साल की सेवा है, चौधरी रणधीर सिंह जैसे स्पष्ट वक्ताओं ने इस बिल की मुखालिफत की है। सरकार कुछ यह नहीं बतला सकी कि क्यों यह बिल वह लादती चली जा रही है। यह न पब्लिक के हित में है, न ही सरकार के हित में है, न देश के बच्चों के भविष्य के हित में है और न इस

[श्री यश पाल सिंह]

से किसी को कोई फायदा होता है। मैं तो माननीय मंत्री जी को कहता हूँ कि दो साल के लिए कानून बना कर देखें, दो साल में आपकी दौलत भी बढ़ेगी, आप की तादाद भी बढ़ेगी, दो साल के लिए आप यह कानून बना कर देखिए कि जो लोग यहां से सोना ले जाते हैं उन को सजा दी जाय और जो देश में सोना लाते हैं उनको इनाम दिया जाय। यह कानून दो साल के लिए बना कर देखिए कि जो हमारे लड़के इंग्लैंड से अमरीका से शादी कर के लाते हैं, उन को इनाम दिया जाय, वह भारत की तादाद बढ़ाते हैं और भारत की सम्पत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप उलटा कर रहे हैं। जो दौलत को बढ़ाना चाहते हैं उनके हाथ काट रहे हैं। जिन स्वर्णकारों को आप घर से बेघर कर रहे हैं वह डिफेंस के मामले में आप को लाखों की सहायता कर सकते थे। उनके अन्दर ऐसे ऐसे जीनियस थे, इतने ऊंचे लोग थे, इतनी ऊंची उनकी प्रतिभा थी, इतने इन्वेन्टर वह लोग थे कि अगर डिफेंस के काम में, ऐटम बम बनाने के काम में, हाइड्रोजन बम बनाने के काम में आप उन को लगाते तो उनके हाथों में, उनकी नजरों में इतनी सफाई थी कि वह आपके हजारों इंजीनियरों से अच्छा काम कर सकते थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप सही रास्ते पर आ जाइए। ला पब्लिक की मर्जी से होता है। जो लोग संविधान बनाने वाले हैं उन से हमने यह भी पढ़ा है कि :

Law is nothing but the will of the people expressed in terms of law.

जनता से आप ने पूछा नहीं, मेम्बरान इस की मुखालिफत कर रहे हैं। सरकार को इस से कोई फायदा नहीं है। आप क्यों एक ऐसा बिल लाते हैं जिसमें समय का नाश हो, जिस में लोगों की एनर्जी का नाश हो? हमारे यहां सोने के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण पहले नहीं था। इसलिए व्यक्तिगत सम्पत्ति जिसमें सोना रखने के उसको गुप्त कहते थे। अगर महाराणा प्रताप को भामाशाह 26 साल लड़ाई लड़ने के लिए सोना लाकर न देता तो हिन्दुस्तान की आजादी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए चाहिए तो यह था कि आज जो सोना इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें आप इन्सेन्टिव दें मगर आप उसके उलटा कर रहे हैं। यह बिलकुल निरर्थक बिल है। जितना इस बिल पर समय नष्ट कर रहे है आप स्वय अपने आप से पूछ लीजिए, जो वरिष्ठ मेम्बर आप के पास बैठे हुए हैं उन से पूछ लीजिए, इसके कारण साढ़े चार सौ स्वर्णकारों ने आत्महत्या कर ली। साढ़े चार सौ नागरिक आप के इस देश के कम हो गये। आप की दृष्टि में यह बहुत मामूली बात है। लेकिन हमारे व्यू प्वाइंट से यह संसार में एक महापातक है कि कोई भी नागरिक इसलिए मर जाय कि उसके पास रोटी रोजी का कोई साधन नहीं है। इसलिए वह डूबकर आत्महत्या कर ले इससे बड़ा कोई कलंक नहीं है इस देश के लिए। मैं आप से फिर कहता हूँ कि हर एक पाप का प्रायश्चित होता है।

It is never too late to mend.

जैसा चौधरी रणधीर सिंह जी ने कहा और दूसरे कांग्रेस मेम्बरान ने कहा मैं समझता हूँ आप आज इस बिल को वापस लीजियेगा और देश के अन्दर कोई ऐसा उपाय कीजियेगा जिस से हमारा देश मालामाल हो सके।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): In the course of the debate, hon. Members who spoke have raised certain points with regard to the parent Act as it exists on the statute today. As far as the habit for possessing gold is concerned, it is a fact that it is centuries-old, and as estimated by the Reserve Bank at one period of time, it was of the order of Rs. 5,700 crores worth of gold in 1963 and not Rs. 3,000 crores worth of gold as stated by Shri Viswanathan.

As for import of gold, this was stopped since 1939 during the British period itself. But gold continued to be imported in the country through smuggling and other clandestine methods. During the Chinese aggres-

sion later on, it was realised that we should change this centuries-old habit and do something with the gold which would benefit the country. Therefore, this was considered necessary and under the DIR's it was made obligatory that gold ornaments would not be manufactured with more than 14 carat gold. After that, there was a lot of opinion expressed, both inside and outside, and agitations were also carried on by goldsmiths and dealers with the result that in September, 1963, a couple of months after the introduction of this restriction, this restriction concerning the manufacture of 14 carat gold as far as goldsmiths were concerned, was removed.

Restriction continued to remain as far as the dealers were concerned. In this connection, it is very interesting to observe that as far as ownership and free trade in gold are concerned, it is not only the socialist or communist countries which restrict possession or free trade in gold ; but many countries like the United States, the United Kingdom and Australia restrict the possession of and trade in gold. Shri Maharaj Singh has rightly pointed that it should have been the responsibility of all of us to educate public opinion in this respect if we want to improve the conditions in our country. But this habit is centuries old and Mr. Maharaj Singh himself said that in a democratic set up like ours it is difficult to do away with such an old habit by one stroke of legislation. Therefore, it was necessary that some measures were to be taken to restrict the import of gold and therefore this was done. I cited the example of the U.S.A. An American citizen has to account for any gold in his possession if it is worth more than 100 U.S. dollars. The defaulters are liable to pay a penalty of 10,000 dollars and ten years rigorous imprisonment. In the United Kingdom since 27th April, 1966 even the possession of gold coins, unless they were purchased before that particular date, is not allowed. Restriction on the possession of gold in its primary form or ornaments are there even in those countries. In spite of the fact so much of gold and gold ornaments are there in our country, some measures had to be taken. Import of gold was stopped from 1939, not from 1947.

From that point of view these measures were taken. Ultimately on account of the persistent demands from all sections of society it was decided in 1966 to withdraw the restrictions on the manufacture of gold ornaments of more than 14 carats. This restriction was introduced in 1963. It was withdrawn as far as goldsmiths were concerned. Later on it was withdrawn with regard to the dealers also. Now there are no restrictions on the manufacture of gold ornaments of any carat for goldsmiths or dealers.

I should like to point out that neither this measure nor the parent Act is to dispossess people of their gold ornaments. The parent Act forbids citizens from possessing primary gold. There is no restriction on the possession of old ornaments. Again this will not apply to common citizen or even a middle-class citizen ; it will apply only to the rich class persons ; if anybody has in his possession ornaments worth more than about Rs. 60,000, he will have to give a declaration. Anybody having ornaments of less than Rs. 60,000 has not to give any type of declaration whatsoever. Therefore, neither this nor the parent Act is a measure to dispossess persons of gold ornaments in their possession.

Similarly, we will have to consider this aspect of the problem. Mr. Maharaj Singh Bharati has pointed out that the consumption of certain articles by certain classes of people has increased and therefore, the consumption variety has to be changed. It is true, because the consumption pattern or habits have changed. We find that there are imports or rather smuggling of a large variety of goods in this country. Transistors are coming ; synthetic yarn, radio, watches, fountain-pens, perfumes, are coming. Even foreign cigarettes and cigars and liquor — all this is being smuggling into the country. *(Interruption.)*

AN HON. MEMBER : Lipsticks.

SHRI P. C. SETHI : Yes ; luxury articles are coming. But it is nobody's argument that because these things are liked by certain classes of people and the consumption of all these things is going up, and therefore, there should be no restriction on the import of these articles. We have put restrictions. On the contrary, I would bring to the notice of this House that only in the last session, we have amended the Customs Act, thereby

[Shri P. C. Sethi]

providing that as far as the notified goods are concerned, the import of these notified goods is restricted. Even if there is a dealer who is dealing these notified articles, he has to give a declaration, and that is why we are trying to control these particular notified articles which are of such consumption-rate that we do not desire, or are of such a nature that we can ourselves produce.

Similarly, as far as gold is concerned, it is everybody's knowledge that as far as the production of gold is concerned, only two fields, the Kolar Goldfields and the Hutti gold mine, are the producing centres. 2 000 kilos of gold are produced by the Kolar Goldfields, and that goes to the Reserve Bank straightway. As far as the Hutti gold mine is concerned, 1,000 kilos are produced by that mine, and that is being channelised for the various trade and industrial purposes. For example, zari manufacturers every year do require gold in some form or other, and it is being given to them ; the prices are fixed ; therefore, this goes into the normal trade and industry. As far as the other production is concerned, it goes to the Reserve Bank straight-way. Therefore, as far as the supply of gold is concerned to the market, it is not given either from the Government sources nor it is officially allowed to be imported.

It is being conceived—I have my own doubts about this conception—that as far as goldsmiths are concerned, we are having about 2½ lakh goldsmiths as certified ; and 12 000 dealars are engaged ; they are doing this business on the basis of remaking all the old ornaments. And to some extent, from all these ornaments, all this trade is going on. This is only a guess : whether it is a completely correct guess or not. But it is on this basis that old ornaments either on account of distress sale or on account of exchange or lust for new variety of ornaments, go to the dealers : and after melting, it goes to the certified goldsmith for manufacturing new ornaments. It is on this basis that the trade is going on.

श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : इम्पोर्टेड गोल्ड कहां जा रहा है । सारी ब्लैकमनी उसी गोल्ड में रखी जा रही है, जिसका ग्राप को पता नहीं है । लोगों के पास ब्लैक मनी सब गोल्ड के रूप में है ।

SHRI P. C. SETHI : That is what I am saying. This is the conception but this conception is not entirely true. As far as gold is concerned—it is absolutely correct—it has found its way into the market from smuggled channels and that is how a portion of the trade is continuing on the basis of this smuggled gold.

Now, the main question is this : that as far as the parent Act is concerned, it was said that it was mainly for reducing the price of gold that this measure was brought in. If there would have been a restriction on 14 carat—I cannot say definitely—but it was our hope that if that restriction had been maintained, perhaps there would have been some check on the acquisition of gold, and the prices would have been stabilised to some extent. But the rise in prices is also on account of two factors : one is that after devaluation, as far as the rupee content of the price is concerned, it went up by 57½ per cent. Secondly, now, the gold prices even in foreign countries are of two forms : one is the standard gold price which has not changed, and the other is market price which has changed and which has gone up.

This price increase also indicates that the demand or lust for gold still persists. Then, because of the restrictions on import and checking of smuggling the prices have gone up to some extent. Therefore, it is not correct to say that the price increase indicates only that gold control has failed completely.

Hon. Members have raised many points with regard to the parent Act and its working. But that does not come into the arena of discussion, as far as this Bill is concerned. But if the hon. House so decides it, whenever it wants, it can go into the entire arena of gold control and look into those problems. But, as far as the present Bill is concerned. its scope is very limited.

The Gold Control Act passed by this hon. House in 1968 was challenged in the Supreme Court and the court struck down certain provisions of the Act ; not the entire Act. On account of that judgment, necessity had arisen to go into greater detail of some aspects. So, while submitting to the wishes and desires of the Supreme Court, taking a cue from that decision, we have tried to improve some of the provisions. So, it is an

improvement on the existing pattern, not only in the matter of greater administrative powers that were given to the administrator, but with regard to many other matters connected with licences and their renewal. Taking a cue from the judgment, we have tried to improve upon the Act. So, I want to dispel any fears that the Gold Control Bill is in any way restricting or imposing more difficult or stringent measures upon the dealers or goldsmiths. Since we have been receiving hundreds of telegrams from all over the country with regard to this measure, I would like to clarify the position that we are not increasing the stringency of the existing Act or tightening it but only improving some of its provisions.

I would like to detail some of them here. In 1963 fourteen carat was introduced. In September, 1963 itself the restriction of 14 carat was removed. In November, 1966 the purity of gold of 14 carat was altogether removed, as a result of which even the licensed dealers were enabled to manufacture new ornaments. At the same time, certified goldsmiths were also permitted to purchase gold in the form of standard gold bars in reasonable quantities to continue their work and the quantitative limit on the possession of primary gold was suitably enhanced. In 1966 the goldsmiths were allowed to keep only 100 grams of primary gold Then it was enhanced to 200 grams. Then, in the year of 1968 it was further enhanced to 300 grams.

The goldsmith can keep any amount of ornament that may come to him for reconstruction. As far as primary gold is concerned, he is allowed to keep by melting up to 300 grams after making ornaments. Therefore, the earlier limit of 100 grams, which was subsequently increased to 200 grams has now been increased to 300 grams. To that extent, the restriction imposed on goldsmiths has been relaxed.

According to the previous provision a goldsmith was required to renew his certificate every year but it has been made possible after the 1968 Act that he need not go to the officers concerned for renewal purposes and he can possess the certificate for all his lifetime.

Then, the category of persons who were eligible to apply was restricted. The hon. Member, Shri Narayana Rao, particularly raised this point and said that we have adopted a policy whereby when the present generation of goldsmiths expires there would be nobody to take the goldsmith's licence as nobody would be permitted. That position has been changed. Actually, now any member of the family can take a goldsmith's licence. Deliberately we have kept the word "family" quite wide so that no restrictions may be imposed.

Not only that, Government is now taking the authority that these certificates could be given to other classes of persons also if they could suitably work in this field. Therefore, the fear which was expressed by Shri Narayana Rao is being dealt with.

Apart from this, there was the restriction previously that such of the goldsmiths who had taken the benefit of some compensation were not to be given licences. Then it was said thet if they repaid the amount which was given to them, they could take out the licence. Now the position has further been made easy in that if they agree to pay the loan in a period of time they would be given the certificate for working as goldsmiths in spite of the fact that they had received certain gratuity or rehabilitation grant from the Government. Even that restriction is being made easy.

Other marginal concessions are also being given. For example, there was the restriction about assistance being taken from some specialists as enamelers, diecutters, stone-setters etc. In the 1968 Act they were allowed to take the assistance of hired labour. Now goldsmiths can not only not accept work from the public but also from licensed dealers. Previously, goldsmiths were to do the work which they got from their customers direct; now even the 12,000 dealers spread all over the country can go to the goldsmiths and ask them to manufacture gold ornaments for selling in their stores or shops. Therefore, even from that point of view the restrictions on goldsmiths which were there previously have been withdrawn.

Then, the hon. Member, Shri Lobo Prabhu, raised the question as to how many people were engaged in the working of the gold control. He said that the figure was not quite related with the work. There are very few officers and persons working in the gold control machinery. There are four deputy collectors, 40 superintendents, 254 inspectors

[Shri P. C. Sethi]

and 98 ministerial staff. This is the total number engaged in this.

As far as the court cases are concerned, although the court cases have been 600, there have been thousands of cases where adjudication and departmental proceedings have been taken.

SHRI LOBO PRABHU : What about cases that went to court ?

SHRI P. C. SETHI : I can straight-way say that that is not the position.

Then, Shri Lobo Prabhu also raised the question of vicarious responsibility. We have made certain amendment in this Bill whereby vicarious responsibility for the past act of the servant does not lie on the employer. The responsibility for the past act of the servant even if he were working somewhere else has been done away with.

Similarly, we have made the necessary changes in sections 88 and 100 in view of the Supreme Court decision.

SHRI LOBO PRABHU : I had proposed that they should be on the premises and not in their own houses.

SHRI RANGA (Srikakulam) : When they are working in their houses, they should not be held responsible for them

SHRI P. C. SETHI : When we come to the amendments, we will see.

As far as this Bill is concerned, it is a definite improvement on the 1968 Act. Both in view of the Supreme Court's judgment and also in view of certain working difficulties with which we were faced, we have tried to improve upon it. We have also taken the cue from the Supreme Court's judgment and in the light of that judgment we have tried to improve upon other things. I may explain, as far as the general public is concerned, there is no restriction whatsoever for them and, therefore, this is not in any sense an anti-people measure......

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Is Government prepared to have a re-thinking on the whole measure ?

SHRI P. C. SETHI : As far as the re-thinking is concerned, the Government and this House can always re-think about any matter......

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What about the Government ?

SHRI P. C. SETHI : I would not commit at this stage what should be done. But, certainly, it is open to this House and also to the Government and to all of us, if we consider that a certain measure is not working in a definite direction or line in which we desire it to work, to go into it.

As I have said, the object of this particular Bill is very limited. This is a definite improvement on the 1968 Act. I have explained the various measures and tried to dispel some of the fears that are there.

With these words, I commend the Bill to the House.

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति जी, मैंने मन्त्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना और कितनी मधुर वाणी वह बोलते हैं यह तो आप को भी बहुत पसन्द आया होगा। परन्तु एक लम्बा चौड़ा इतिहास वह बता गये कि कसे-कैसे गोल्ड कंट्रोल ऐक्ट में बदलाव आये और अब यह क्या कर रहे हैं। परन्तु यह नहीं बता पाये कि जिस गरज से यह गोल्ड कंट्रोल ऐक्ट बना था उससे कोई विशेष लाभ हुआ कि नहीं ? इस आशा के साथ यह नियंत्रण सोने पर लगाया गया था कि स्मगलिंग बन्द होगी, इस आशा के साथ की हमारी मुद्रा का भाव कुछ ठीक होगा, इस आशा के साथ की लोगों को सोना बरतने का जो चाव है वह कम होगा। मन्त्री महोदय ने तीनों बातों को मान लिया कि जहां तक स्मगलिंग का ताल्लुक है वह बराबर जारी है, और यह उन्होंने नही कहा कि पहले से कुछ कम हुआ। हां बढ़ रहा है।

श्री प्र० चं० सेठी : पहले से सीजर्स का जहां तक ताल्लुक है बहुत बढ़े हैं इसलिये स्मगलिंग भी बढ़ी है, आप ऐसा कह सकते हैं।

लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सीजर्स बढ़े हैं तो स्मगलिंग कम हुआ है।

श्री कंवर लाल गुप्ता : सीजर्स के होने का मतलब ही यह है कि स्मगलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जहां तक रुपये की कीमत का सवाल है ओपिन मार्केट में वह भी गिर गयी है। इसके अलावा क्या लोगों में सोने के प्रयोग का जो लस्ट है वह कम हो गया ? आपने स्वयं माना कि अभी तक नहीं हुआ। मैंने प्रधान मन्त्री जी का उदाहरण दिया...

श्री प्र० चं० सेठी : मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि इस बारे में आपने सवाल उठाया था उसका उत्तर दिया गया और स्थिति साफ कर दी गयी, इसलिए बार-बार उसी बात को दोहराना ठीक नहीं है।

सभापति महोदय : मैंने कल निवेदन किया था कि उत्तर देने में आक्षेप को जितना बचा सकें बचायें।

श्री कंवर लाल गुप्त : आक्षेप कुछ नहीं है। आप प्रधान मन्त्री को टच मी नोट क्यों बना रहे हैं। आखिर उनकी पब्लिक लाइफ है वह कुछ कहती हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रधान मन्त्री को भी ऐजूकेट करें कि कृपा करके इतना सोना मत रखिये। हमारा फर्ज है ऐजूकेट करने का कि श्रीमती जी 70 000 रु० का सोना मत रखिये...

सभापति महोदय : 70,000 का सोना या 80,000 रु० का सोना, ऐसा आप कैसे और क्यों कहते हैं।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आप इजाजत दें तो पढ़ दूं। मैं अपने भाषण के दौरान कहने वाला हूँ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप कुर्सी पर बैठ कर वकालत न करिये। एक अम्पायर की तरह से करिये, कांग्रेस का सदस्य होने के नाते नहीं।

सभापति महोदय : मैंने यह तय कर लिया है कि मैं जब तक कुर्सी पर रहूँगा अगर इधर के लोग आप के ऊपर आक्षेप करेंगे, जिसका कि इनके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा। और आप लोग भी अगर कोई ऐसी बात उधर से करेंगे तो मैं उसको भी अलाऊ नहीं करूंगा। यह मेरी नीति है।

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति जी, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूँ।

सभापति महोदय : आप चेयर को भेजिये। मैं उसको अलाऊ कर दूं तो बोलिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : स्वयं प्रधान मन्त्री को आदर्श रखना चाहिये जनता के सामने कि वह स्वयं इतना सोना और जेवर नहीं रखतीं, और लोगों से भी फिर उनको यह प्रार्थना करनी चाहिये कि लोग सोने का प्रयोग ज्यादा न करें। तभी लोग ऐजूकेट होंगे।

जो उद्देश्य था सोने के नियंत्रण का...

SHRI RANDHIR SINGH : I take him as a senior member of the Jan Sangh. I should be responsible. I am simply disappointed at his performance.

श्री कंवर लाल गुप्त : जो तीन उद्देश्य थे, लस्ठ फोर गोल्ड कम हो, स्मगलिंग कम हो और हमारी मुद्रा की कीमत बढ़े, ये तीनों उद्देश्य विफल हो गये। इसलिये अब इस गोल्ड कंट्रोल से कोई लाभ नहीं।

मन्त्री महोदय ने अमरीका की मिसाल दी कि वहां पर ऐसी पाबन्दियां हैं, दूसरे और प्रजातन्त्र देशों में भी पाबन्दियां हैं। यह बात सही है। लेकिन मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अमरिका में जो स्थिति है क्या वही स्थिति हमारे देश में ? हमारे देश में सोने के लिये, सोने के जेवरों के लिये हजारों साल से एक क्रिया चली आ रही है। लोग शादी, विवाह में सोने के जेवर बनाते हैं। अमरीका में वह चीज नहीं है। अमरिका में क्रेडिट पॉलि-

[श्री कंवर लाल गुप्त]

लिटीज हर गांव-गांव में हैं। भारत में आप वह सुविधा 50,000 तक की आबादी के शहरों में भी नहीं दे रहे हैं, गाव को तो छोड़िये। अमरीका में पर कैपिटा इनकम भारत से कितनी गुनी ज्यादा है। 20 साल से लगातार यह यह सरकार राज्य करने के बाद भी, तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 32,000 करोड़ रु० खर्च करने के बाद भी, न ऐम्प्लायमेंट की गारन्टी दे सकी है और न दो वक्त भर पेट खाना दे सकी है। शुद्ध जल तक नही दे सकी है। फिर आप अमरीका की क्या ऐग्जाम्पिल देते हैं जहां हर एक को हर सुविधा है। इसलिये मेरा कहना है कि जो मन्त्री जी ने तर्क दिया उसका कोई अर्थ नही है। वास्तव में गोल्ड कंट्रोल ऐक्ट का कोई लाभ नहीं हुआ। चारों तरफ से यह मांग आई, यहां तक की कांग्रेस वालों की तरफ से भी, कि सोने के नियंत्रण का कोई लाभ नहीं हुआ। आप माननीय रणधीर सिंह की राय ले लीजिये, जो उन की राय होगी वह मैं मानने के लिये तैयार हूं। जब सदन का चारों तरफ से यह मत है कि गोल्ड कंट्रोल को हटा देना चाहिये तो आप क्यों नहीं हटाते ? जो सरकार अपने आप को प्रजातंत्रीय सरकार कहती है वह लोगों की राय की अवहेलना करे और फिर समाजवाद का ढोल पीटे यह थोथी बात है। मंत्री महोदय, आप के मुंह से यह शोभा नहीं देता। अगर और कोई मन्त्री कहता तो मैं मान लेता। वित्त मन्त्री महोदया ने कहा कि हमने देश को हिला दिया, गांवों और गरीबों में जागृति पैदा कर दी है और कम से कम 20 साल के बाद चीजें चलनी तो शुरू हुई। मुझे खुशी है कि स्वयम् प्रधान मन्त्री महोदया ने यह बात कह कर कि बीस साल के अन्दर कुछ चीज चलनी तो शुरू हुई, यह मान लिया कि बीस साल तक कोई चीज चली नहीं है। स्वयम् उन्होंने अपने पिता के किये हुए सारे काम पर पानी फेर दिया। अपने सारे पिछले काम पर पानी फेर दिया औरों की तो बात ही नहीं।

सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया या श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पिछले बीस सालों में, वह बैंकों के राष्ट्रीकरण का काम है। मेरा कहना यह है कि आप ऐसा काम कीजिये जो जनता चाहती है। जनता जिस नियन्त्रण को नहीं चाहती, उसको हटा दीजिये। जो भी गोल्ड स्मग्लिग है वह इस तरह से रुकेगी नही। आप ने लोगों को बेईमान बना दिया। करोड़ों रुपयों का सोना हर साल स्मगल हो कर देश में आता है और उससे लोग जेवर बनाते हैं। आप ने नियम बना दिया है कि जो भी नये जेवर बनेंगे वह पुराने जेवरों से बनेंगे। अगर ऐसी बात है तो जो करोड़ों रुपयों का सोना आता है उसका क्या उपयोग होता है ? क्या सुनार उसके जेवर नहीं बनाते हैं ? साथ ही जो लोग नौकरी में हैं क्या वह बेईमानी नहीं करते ? आज 100, 1,000, 2,000 या 10,000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में सुनार नये सोने से जेवर बनाते हैं और लिखते हैं कि वह पुराने से बनाते हैं। जैसे एलेक्शन के दौरान में हर एक व्यक्ति अपना स्टेटमेंट आफ एकाउंट्स देता है कि मैंने इतना ही खर्च किया है, लेकिन हर एक आदमी का ज्यादा खर्च होता है। इस तरीके से जो कानून लोगों को बेईमानी की तरफ ले जाय, वह कानून ठीक नहीं है और उसको बदलने की जरूरत है।

मैंने मन्त्री महोदय से सवाल किया था कि क्या सरकार रिथिंकिंग करना चाहती है इस इश्यू पर। लेकिन मन्त्री महोदय डांवाडोल हैं। उनका मन तो कहता है कि हां, इससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन उनका कहना यही है कि वह रिथिंकिंग करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसकी जरूरत नहीं है यह भी नहीं कहा। यह भी नहीं कि सदन चाहे तो रिथिंकिंग कर सकते हैं। आखिर सरकार कौन सी है मैं यह पूछना चाहता हूं ? क्या श्री सेठी सरकार नहीं है ? श्री सेठी सरकार हैं, इसलिये मैंने एक सवाल पूछा था। श्री सेठी ने मना नहीं किया कि रिथिंकिंग

करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि वह मन से समझते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं है और सरकार को रिथिंकिंग करना चाहिये, लेकिन उनके घर में फैसला नहीं हुआ है। मेरा कहना यह है कि मन्त्री महोदय अभी जवाब न दें अगर नहीं देना चाहते, लेकिन प्रजातंत्र के लिये, देश के हित के लिये, 5 लाख सुनारों के हित के लिये कृपा करके वह गोल्ड कंट्रोल को बिल्कुल हटा दें। मन्त्री महोदय ने ढाई लाख के फिगर दिये हैं, लेकिन ढाई लाख तो वह लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस लिये हैं। लेकिन शुरू में जब सर्वे की गई थी तो उस समय पांच लाख लोग काम करते थे। ढाई लाख लोग लाइसेंस देने से खत्म हो गये थे। पाच लाख परिवार और उनके अलावा जो लोग उनकी दुकानों पर काम करते थे, इस तरह से लाखों लोगों के ऊपर चोट पहुँचाने वाला यह बिल है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इसको समाप्त कर दे और लोगों को राहत पहुंचायें।

मैं तब मानूंगा कि लोगों को राहत मिली है, जैसा कि श्री रणधीर सिंह ने कहा, जब सचमुच लोगों को कुछ काम मिले। क्या सरकार यह गारेंटी करने के लिये तैयार है अगले दो वर्षों में हर एक हाथ को वह काम देगी ? अगर प्रधान मन्त्री ऐसा कहें तो मैं राष्ट्रीय करण मानने के लिए तैयार हूं, अगर नहीं दे सकते तो यह तो कहें कि हम लोग सबको पेट की रोटी देंगे, तब भी मैं मानने के लिये तैयार हूं,। अगर यह भी नहीं कर सकते तो कम से कम देने के लिये रास्ता तो अपनाये। अगर यह सरकार इस चीज की गारेंटी दो सालों में नहीं दे सकी तो यह नारा थोथा है, यह समाजवाद नहीं है, यह पोलिटिकल स्टेट है और पोलिटिकल स्टेट द्वारा आप हम लोगों को समझाना चाहते हैं।

आखिर में मुझे और कुछ नहीं कहना है मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि थर्ड रीडिंग के समय वह बतलायें कि इससे कुछ लाभ हुआ है या नहीं और कैसे इसको रिलैक्स करेंगे जब इससे कोई लाभ नहीं है। कोई स्टेटिस्टीशियन या एकानमिस्ट भी सोचेगा तो यही मानेगा कि जिस स्थिति में यह बिल है उससे कोई लाभ नहीं और इसको स्क्रैप कर देना अच्छा है। क्या सरकार इस पर रिथिंकिंग करेगी ? रिथिंकिंग कोई कमिटमेंट नहीं होता। मैं मन्त्री महोदय से जवाब चाहता हूँ कि वह बतलायें कि क्या सरकार इस पर रिथिंकिंग करेगी, लोगों से राय लेगी, इस सदन की राय लेगी और राय लेने के बाद जो कुछ जनता के हित में हो वह काम करेगी और इस बिल को समाप्त करेगी ?

MR. CHAIRMAN : The question is :

"This House disapproves of the Gold (Control) Amendment Ordinance, 1969 (Ordinance No. 6 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 3rd July 1969".

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN : I shall now put all the amendments by way of motions for circulation together to the vote of the House.

Amendments Nos. 1,8,9 and 17 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to amend the Gold (Control) Act, 1968, be taken into consideration".

The motion was adopted.

Clause 2—*(Amendment of sec. 5)*

श्री मधु लिमये : यह बतला दे तो अच्छा होगा कि दूसरे वाचन के लिये कितना समय रखा गया है और तीसरे वाचन के लिये कितना समय रखा गया है।

सभापति महोदय : समय तो सब खत्म हो चुका है।

श्री मधु लिमये : आप को हमें समय देना चाहिये। हम तो इन्तजार कर रहे थे कि तीसरे वाचन पर बोलेंगे।

सभापति महोदय : अगर आप संयम से काम लें तो तीसरे वाचन के लिये आधा घंटा या 45 मिनट का समय मिल सकता है।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : We take up clause 3.

SHRI LOBO PRABHU : I have given notice of my amendments yesterday and the hon. Minister himself said that he was going to take up the points raised by me when they come up.

MR. CHAIRMAN : They have not been circulated.

SHRI LOBO PRABHU : You are free to admit them if there is no objection from the Members. The rule says that any Member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved.

MR. CHAIRMAN : It is left to the discretion of the Chair. They have not been circulated and so I do not allow them. I shall now put clause 3 to the vote of the House. The question is :

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 10 were added to the Bill.

Clauses 11.—(*Amendment of section 50.*)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I have an amendment to clause 11—No. 4.

I move :

Page 6, line 26,—*add* at the end—"after due enquiry" (4).

क्लाज ग्यारह में मेरा चार नम्बर का संशोधन है जिसको मैंने अभी पेश किया है। इस क्लाज में जो एडमिनिस्ट्रेटर या गोल्ड कंट्रोल अफसर है वह लाइसेंस देगा डीलर को, रिफाइनर को, ट्रेडर को और अगर कोई गोल्ड कंट्रोल कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके लाइसेंस को वह कैंसल कर सकेगा। आपने क्लाज 11 (1) (सी) में कहा है :

"(1A) The Administrat or may, if he is satisfied, after making such inquiry as he may think fit, that the holder of any licence or certificate issued, renewed or continued under this Act has made such incorrect or false statement as is referred to in sub-section (1) or has contravened the provisions of such law, rule ororder as is referred to in that sub-section, cancel such licence or certificate, as the case may be.

मैं ने यह चाहा है कि इसके अन्त में आफ्टर ड्यू इनक्वायरी शब्द जोड़ दिये जायें।

मैं मानता हूँ जो गोल्ड डीलर है या ट्रेडर है, जब इसके बारे में कानून बन गया है तो वह उसका उल्लंघन भी कर सकता है। मैं इसको भी मानता हूं कि जब कोई कानून पास हो जाता है तो उसका पालन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूँ कि 99.9 केसिस में चाँसिस रहते हैं अफसरों द्वारा धांधली करने के और भ्रष्टाचार करने के। यह मानी हुई बात है कि मौजूदा प्रशासन जो हिन्दुस्तान का है, उसमें चाहे इनकम टैक्स अफसर या दूसरा सिविलस वेंट हो, गोल्ड कंट्रोल अफसर हो या दूसरा हो, 99.9 प्रतिशत सम्भावना यह होती है कि वह भ्रष्ट होगा, उसमें खामियाँ होंगी और हो सकता है कि निजी फायदे के लिए नाजायज फायदा उठाने के लिए वह कहे कि तुम इस कानूनी व्यवस्था को या उस कानूनी व्यवस्था को नहीं मानते हो। तुमने इसका या उसका उल्लंघन किया है, इसलिये हम तुम्हारा लाइसेंस छीन लेते हैं और इसको हम रिन्यू नहीं करेंगे। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि जब कभी ऐसा किया जाये, वह आफ्टर ड्यू इनक्वायरी किया जाये। इससे पता चल सकेगा कि हकीकत में उसने इनक्वायरी कर ली है और पता चल गया है कि कानून का उल्लंघन हुआ है। अगर इस तरह की इनक्वायरी की व्यवस्था नहीं की जाती है तो एक

तो यह कानून पास करके जो जुल्म उन पर हो रहा है वह तो होगा ही उसके साथ साथ अफसरों के हाथ में जो आप इतनी बड़ी ताकत देने जा रहे हैं, उसका सहारा ले कर वे इस जुल्म को कई गुना बढ़ा देंगे। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आफ्टर इयू इनक्वायरी शब्द जोड़ दिये जायें।

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : Sir, I have to make a submission. Saturday being a non-sitting day, the amendment could not be circulated and this morning only we could give it ; we brought the amendment on Saturday but because it was not a working day, this has happened. However, we have to make one submission. The whole thing has been lost because it was a non-sitting day.

Now, in clause 11, my objection is this. It says :

> "In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), (a) for the words 'to such goods,' the following words shall be, and shall be deemed always to have been substituted, namely :—"

This phraseology, "and shall be deemed always to have been substituted", is not proper. That means, it takes retrospective effect. The meaning is that it should be taken as if the whole thing has been incorporated before the Supreme Court judgment. After all this amendment is coming as a result of the judgment of the Supreme Court, and the Suptreme Court struck it down because of cer ain irregularities. This illegality cannot be cured from that date. I can understand that this illegality is being cured from today when we pass the law. What the amendment says is : "it shall be deemed always to have been substituted." This legislation with retrospective effect is bad in law and it is likely to be struck down by the Supreme Court once again. Leave alone the question whether it is going to be struck down or otherwise, but even the concept is wrong.

After all, there should not be a differentiation between two individuals. I as a citizen can have ornaments to the extent of my ability, if I have got the money. Whereas the dealer, and here he is a dealer in gold, is not given the right to have his ornaments. Of course, he can have in one sense, but he must declare it. Now, this inequality should not be allowed, whether he is a dealer or otherwise. But apart from the fact that he deals with gold, he should have the right to have his own private ornaments to the extent that he can possess just as any other citizen is having. The right must be given. The original Act prohibited it, and I spoke on that matter and here, in the same context, I am saying that if you show this inequality, differentiation before the law, it is wrong. This differentiation is shown between two citizens. It is likely to be struck down by the courts. Shri Morarji Desai on that occasion got angry with me and said, if it is struck down by the Supreme Court, let it do it. But today, what has happened ? It has been struck down by the Supreme Court. Therefore, let us not play with legislation.

After all, the principle is that the lure of gold must be discouraged among the people of India. I am one with the Government that is true ; But it has to be discouraged ; not to be prohibited. Prohibition is not possible. It is just as in the case of prohibition of liquor. What has happened there ? We know. Therefore, the whole country should be taken together along with the government and public opinion must be created so that the lure of gold will not be there and people will not amass wealth through gold. A legislation of this kind cannot achive that object.

16.00 hrs.

The hon. Minister may very well say that we are considering only an amendment to the Act and this is not the time to discuss the original Act. It is ture that the object of this Bill is to make the Act perfact in the light of the judgment of the Supreme Court. All the same, the whole question has to be reviewed by the government leisurely. If necessary, the government and opposition members can sit together and discuss as to how gold control can be brought in a way which will be practical, taking into consideration the tradition and attitude of our people. Then we will notice that many of the provisions in the existing law will have to be changed ; perhaps, even repeal of the existing Act and bringing in a new measure would be necessary. I hope government will give serious consideration to this aspect.

SHRI P. C. SETHI : Coming to the amendment of Shri Shiv Chandra Jha, the present wording says "after making such inquiry". Therefore, the licence cannot be concelled *suo motu* ; it can be done only after making an inquiry. Wherer we have those words at the initial stage of the paragraph or at the end matters little. Therefore, the amendment does not substantially change the provision of the Bill and I am not prepared to accept it.

Coming to the point raised by Shri Nambiar, whenever we bring legislation of this type, it is the general practice to give it retrospective effect. Only the other day, the House passed the Central Sales Tax Act which was also given retrospective effect. There is nothing wrong in that. I think it is in order.

SHRI NAMBIAR : What about my suggestion for considering the entire matter of gold control as such ?

SHRI P. C. SETHI : That does not arise out of the present Bill.

MR. CHAIRMAN : I will now put amendent No. 4 to the vote of the House.

Amendment No. 4 was put and negatived

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 11 stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 11 was added to the Bill

Clause 12—*(substitution of new section for section 88).*

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 7, line 1,—

for "three years" *substitute* "one year" (5)

Page 7, line 2,—

add at the end—

"of not less than five hundred rupees" (6)

सभापति महोदय, क्लाज 12 में दिये गये नये सैक्शन 88(2) में कहा गया है :

"Whoever is deemed, under sub-section (1) to have abetted an offence against this Act, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years..."

इसका अर्थ यह है कि किसी डीलर या रिफाइनर के पास जो आर्टिसन या गोल्डस्मिथ काम करता है, अगर उसने इस एक्ट का उल्लंघन किया है और डीलर यह जानते हुए भी सरकार को इस बारे में इत्तिला नहीं देता है, तो उसको तीन साल की कैद की सजा दी जायेगी। मैं समझता हूं कि यह सरासर जुल्म है। यदि किसी डीलर को मालूम हो जाता है कि उसके किसी कर्मचारी ने इस कानून का उल्लंघन किया है और वह दो दिन के अन्दर सरकार को सूचना दे देता है, तो वह आफेंस नहीं माना जायेगा। लेकिन मान लीजिये कि यदि किसी कर्मचारी ने अपने मालिक को दो दिन के अन्दर नहीं बताया है कि उसके द्वारा इस कानून का उल्लंघन हुआ है, तो यह ह्यूमैन साइकालोजी है कि वह इस बारे में अपने मालिक को कभी भी नहीं बतायेगा, जिस का परिणाम यह होगा कि मालिक अर्थात डीलर सरकार को दो दिन के अन्दर उस उल्लंघन के विषय में सूचित नहीं कर पायेगा और उसको सजा हो जायेगी।

मैं समझता हूं कि वर्तमान व्यवस्था से गोल्ड कंट्रोल आफिसर को डीलर्ज को हैरान करने की ताकत मिल जायेगी। वे कहेंगे कि तुम्हारे आदमी ने इस कानून का उल्लंघन किया है और तुमने इस बारे में सरकार को सूचित नहीं किया है, इसलिए तुम्हें सजा होगी इस तरह गोल्ड कंट्रोल आफिसर्ज को बहुत धांधलियां करने का मौका मिल जायेगा।

यद्यपि मैंने यह संशोधन दिया है कि कैद की सजा को तीन साल से कम करके एक साल कर दिया जाये, परन्तु वास्तव में मैं चाहता हूं कि इस सजा को कम करके दो महीने कर दिया जाये।

हम देखते हैं कि यह सरकार राजनैतिक

कैदियों को तो लम्बी सजा नहीं देती है, हालांकि उन के लिए जेल जाना ज्यादा तकलीफदेह नहीं है, लेकिन जो लोग प्रतिदिन काम करके अपना गुजारा करते हैं, उन्हें वह लम्बी सजायें देती है। सरकार यह तो उल्टी गंगा बहा रही है। अगर किसी डीलर ने आफेंस किया है, तो उस को जुर्माने की सजा होनी चाहिए। मेरे संशोधनों का अभिप्राय यह है कि कैद की मियाद कम होनी चाहिये और जुर्माना पाँच सो रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

SHRI NAMBIAR : Sir, I wanted the deletion of the whole clause 12 which says :—

> "For section 88 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—
>
> "88. (1) A dealer or refiner who knows or has reason to believe, that any person employed by him has, in the course of such employment, contravened any provisions of this Act or any rule or order made there-under, shall be deemed to have abetted an offence against this Act :".

Now, the Act is so cumbersome ; the rules are hundred times worse cumbersome and the orders made by the Controller and others are thousand times worse cumbersome and all these things should be borne in mind by the goldsmith or anybody working under the dealer and if he does anything in contravention of any of these provisions he has to be prosecuted and put into jail for three years and so on and so forth.

What does this mean ? It means pure and simple that a goldsmith who in all fairness does his normal duty can be hauled up later on by the Gold Controller or the authority who is in charge of it saying that this is in contravention of the Act. The dealer is also supposed to be a person who has abetted in the offence but, fortunately for the dealer, if he writes to the officer two days prior saying that this particular goldsmith behaved in such and such a manner and, therefore, he may be exonerated, he can escape but he must show to the officer the goldsmith and he must be punished. This is a very bad provision and it looks ridiculous.

Moreover, as another hon. Member, Shri Ramani, has stated, you make a gold dealer a person who has to spy on the goldsmith, or goldsmith to spy on the dealer, thereby creating mutual suspicion. After all, let the gold business, if you recognise it as business, be carried on under normal conditions. Why do you want goldsmith and dealer to quarrel with each other on the fact that anyone of them might have contravened the law, or the provisions or the orders issued under the law ? This is too ambiguous. It is too wide ; it is all-pervading type of legislation. The officer-in-charge can catch anybody, any dealer, any goldsmith or anyone else and harass him.

I have received repeated representations from my constituency from goldsmiths as well as dealers that they are being harassed by the officers every now and then and that, without any notice, their shops are raided and they are being subjected to much pressure. This is what is happening throughout the country and they have to go to the court to get some remedy. That lacuna has been plugged by this amending Act, making it more harassing, by a provision that you are bringing in here.

My submission is that clause 12 as such, as read out by me, should not be there. It must be deleted. Nothing is going to harm the Gold Control Act if this is deleted. This is obnoxious and this should not get entry into the statute book. This is too bad a law to be entered into the statute book. It tells upon our culture, our standard and our own behaviour. I would, therefore, request the hon. Minister to consider this and delete this clause.

SHRI LOBO PRABHU : Sir, I do not wish to repeat the argument put forward by my predecessor but to add one simple argument. You are punishing two persons for the same offence. The offence is committed by the goldsmith and you are punishing the dealer because he did not supervise the goldsmith. Are you making the dealer one of your officers that he should watch and report and be punished for the default ? The Act implies that anyone who is a dealer is also a member of the staff. I am wholly with their demand to delete this clauses. But as Government never delete anything, I suggest something very much less. You are going to enforce the responsibility

[Shri Lobo Prabhu]

on the dealer. It should not be the responsibility which he cannot properly exercise. It is very well known to the Minister that goldsmiths do not work always on the premises of their dealers. They work in their own houses. How can you make a dealer responsible for a goldsmith who does not work on his own premises? I would like the Minister to concede this very simple amendment, that is, after the words "such employment" add the words "and on his premises". The goldsmith should be on his premises before the vicarious responsibility is enforced.

SHRI P. C. SETHI: As far as Section 88 of the parent Act is concerned, it was challenged in the Supreme Court and, with regard to this vicarious responsibility, the Supreme Court came to the conclusion that the provision as it was there at that time went beyond the reasonable limits and that is why they held it invalid. Keeping the wishes of the Supreme Court in view, we have suitably amended it...

SHRI NAMBIAR: Still it is beyond the reasonable limits. It is too wide; it is all-pervading.

SHRI P. C. SETHI: It is definitely an improvement on the existing Act.

SHRI NAMBIAR: Maybe a little; still it is beyond the scope.

SHRI P. C. SETHI: That is why in the light of the Supreme Court judgment, we have improved it.

As far as reducing the punishment is concerned, we generally see that in small offences, the court itself does not go upto 3 years. But if the offence is very serious, we should not limit the hands of the court and ask them to give a lesser punishment. When you keep the provision as three years, that does not necessarily mean that for every offence, big or small, the punishment would necessarily be for three years. We do not want to bind down the hands of the court. In case they feel that the punishment should be higher for certain offences, they can go upto three years. Therefore, we have provided for three years. Therefore, the reduction of the punishment provided for in this particular Clause is not acceptable to me. I am not in a position to accept the amendments moved by Shri Shiv Chandra Jha.

SHRI LOBO PRABHU: What about my amendment, when the offence is committed on the premises of the dealer...

SHRI P. C. SETHI: The hon. Member, Shri Lobo Prabhu, is raising the question of artisans. If the artisans are the employees of the dealer himself and if they want to work at home, in that case instead of remaining artisans they can as well take the licence of certified goldsmiths. We can, while framing the rules, certainly consider that aspect.

SHRI LOBO PRABHU: There are many persons employed by the dealer who do not work in his premises but work in their own houses.

MR. CHAIRMAN: I shall now but amendments 5 and 6 together to the vote of the house.

The Amendments Nos. 5 and 6 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 12 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13—(*Substitution of new section for section 100.*)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I beg to move:

Page 7, lines 31 and 32,—

for "twenty-five grammes" *substitute*—

"ten grammes". (7)

मेरा यह जो संशोधन है यह पेटी ट्रांजेक्शन की बात जहां आपने कही है उसमें है। आपने कहा है कि पेटी ट्रांजेक्शंस में यह नहीं लागू होगा और पेटी ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है कि 25 ग्राम तक सोने के लेन-देन को पेटी ट्रांजेक्शन समझा जायेगा और उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। उसकी जगह पर मैं

चाहता हूँ कि यदि आप इतने प्यूरिटन हैं, इतना प्यूरिटनिज्म है गोल्ड के मुताल्लिक आपको और स्ट्रिक्टली इस को आप लागू करना चाहते हो तो 25 की जगह 10 कर दीजिये। यही मेरा संशोधन है कि 25 ग्राम की जगह 10 ग्राम कर दिया जाय।

SHRI LOBO PRABHU : I am also for amending the limit of 'petty transaction' as Mr. Shiva Chandra Jha but in the opposite direction. He has suggested 'ten grammes' instead of 'twenty-five grammes'. But I suggest that it should be 'hundred grammes' for the simple reason that to make the goldsmith liable to find out the identity, the whereabouts and the *bona fides* of a persons bringing a small quantity of gold, is a burdensome responsibility. You must remember that the whole of section 100 has been struck down by the Supreme Court, and if you insist on a petty transaction being so petty, the Supreme Court will again strike it down. So, I propose that instead of 25, 100 grammes may be substituted.

SHRI NAMBIAR : As Mr. Lobo Prabhu has said, section 100 is very badly worded. Here you would find that a refiner, a certified goldsmith purchases primary gold and whenever he purchases, he makes a note of it. Suppose I am a primary goldsmith and suppose, for the sake of argument, I purchase from 'X' ; he gives me two tolas of gold. It may be old ornaments. I purchase from him. I have his address. Afterwards it is found that that gold is not properly brought out. The fellow may have stolen or may not have declared or something like that. And I reveal the name. If he says that he has not sold it to me, how can I prove it ? How can the responsibility be but on me ?

Suppose 'X' is selling it to me and I purhase. Afterwards 'Y' disowns it. I do not get any form signed by him or take his thumb impression when I purchase. These are all petty transactions and for such transactions if you want the goldsmith or a dealer to be liable, then how can any one do any business in gold ? It is working like this. Since we do not want any transaction to be conducted in gold, instead of stopping all transactions, we are indirectly telling that you should not do anything by threatening him. This is the meaning of Sec. 100. What you cannot straight-way do, you are indirectly doing from behind and forcing the people not to do and thereby causing harassment to the dealer and harassment to the goldsmith and also harassment to the person who sold it. This is very difficult. Any officer can find fault with any one of those persons if he so desires. That is exactly why Sec. 100 was struck down by the Supreme Court and again the Government brings it in another form thereby saying that we have purified the section and made gold of a better carat. This is not the proper method. Nothing could have been lost if you have deleted Sec. 100. Instead of deletion you are bringing it in another way. Thereby you are adding to the harassment of the dealer. This is my objection and I think the hon. Minister may be pleased to accept amendment moved from this side or he can bring an amendment himself and see that this harassment is ended. If you have got any objection against dealers because dealers are dealing in bullion and they may be getting unaccounted gold, smuggled gold and if you are insisting on stopping that, I can understand your putting this burden on the gold dealer. Why do you catch hold of the certified goldsmith who is a small fry ? He is not dealing in gold. Certified goldsmith purchases gold for his own business, for his own living, to make ornaments. By putting these fetters on him, you are preventing him from discharging his normal duty as an artisan, as a goldsmith in doing his day-to-day work for his living. You are threatening him also from getting his day's bread. Therefore, my submission is that if you cannot delete the entire Sec. 100, please remove the expressions wherever they exist 'or certified goldsmith'. Then the section will read : "Every licensed dealer or refiner, as the case may be" etc. "Certified goldsmith" may by excluded from the operation of this section for the reason that he is the smallest fry in the whole affair and he is doing this for existence, bread-winning and he at least excluded from the harassment if you cannot take away the entire Section. That is my humble submission.

SHRI P. C. SETHI : Section 100 of the parent Act was challenged in the Court and the hon. Supreme Court held that this is too harsh at it stood on the statute book at that time and therefore this particular

[Shri P. C. Sethi]

section requiring the licensed dealer to take certain precautions for which no rules or no details were framed, was struck down. What we are trying to substitute is definitely an improvement from this point of view. Now we have prescribed the Rules and they are already placed on the Table of the House. Therefore, whatever precautions he has to take, he has to take according to the Rules which are before the hon. House now.

Then previously there was no facility given to him with regard to petty transactions. Now we have given the facility of having petty transactions worth about 25 grammes. The hon. Member, Shri Shiva Chandra Jha wants to reduce this to 10 grammes. That means we are taking away the facility we want to give. Shri Lobo Prabhu wants to make it 100 grammes. This facility did not exist before. Now we are giving 25 grammes. As far as the present change is concerned, it is a definite improvement from all points of view and with regard to credit transactions also if we reduce the quantity from 25 to 10 grammes, it would be meaningless. I am not prepared to accept the amendments suggested by the hon. Members.

SHRI NAMBIAR : Can he not delete 'dealer' and 'certified goldsmith' and leave them out of the operation of the clause ?

SHRI P. C. SETHI : How is it possible? If either the goldsmith or the dealer does not take precautions according to the rules for the purchase of gold or ornaments and is not able to clarify the position, the law should be common for all.

MR. CHAIRMAN : I shall now put amendment No. 7 to the vote of the House.

Amendment No. 7 was put and negatived

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 13 stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 13 was added to the Bill

Clauses 14 and 15 were added to the Bill

Clause 1—(*Short title and Commencement*)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 1,—

for lines 3 and 4, *substitute*—

"1. (1) This Act may be called the Gold Trade Control Bill, 1969". (3)

सभापति महोदय, इस विधेयक का नाम गोल्ड कंट्रोल अमेंडमेंट बिल नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप की बातों से स्थिति साफ हो गई है कि सदन को और देश को गुमराह करने के लिये इस टाइटल को रखा गया है. इस विधेयक के अन्दर काम कोई दूसरा किया जा रहा है और नाम उसके लीपापोती का रखा जा रहा है. मैं चाहता हूँ कि जो हकीकत है, उस के मुताबिक ही नाम होना चाहिये, इसी लिये मेरा संशोधन है कि इस बिल का नाम—गोल्ड ट्रेड कन्ट्रोल बिल 1969—होना चाहिये। इस बिल को गोल्ड कन्ट्रोल बिल न कहें, क्योंकि गोल्ड कन्ट्रोल की बात आप करने नहीं जा रहे हैं। देश के अन्दर बहुत बड़ी मात्रा में होर्डेड गोल्ड पड़ा हुआ है जिसको आप निकालना नहीं चाहते हैं। जिस सिद्धान्त और आदर्श के मुताबिक आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और अभी देश के सामने कह रहे हैं कि यह तो पहला कदम है, और बड़े बड़े कदम आने वाले है, अगर वास्तव में यह हकीकत है तो यह लाजमी हो जाता है कि देश के अन्दर जो 3 हजार करोड़ रुपये का सोना छुपा पड़ा है, उस को बाहर निकाला जाय। मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसे बाहर क्यों नहीं निकालते हैं। बहुत से राजा-महाराजाओं, मन्दिरों के पास बहुत सोना है, उनको क्या हक है कि उस सोने को रखें, मन्दिर में सोना रखने की कोई जरूरत नहीं है, समाज को सोने की जरूरत है, इसलिए उस सोने को निकाला जाय। आप बाबा बैद्यनाथ धाम जाँय, द्वारिका जाय और दक्षिण के अनेकों मन्दिरों को लेलें—कितना सोना वहां पर पड़ा हुआ है। गोल्ड कंट्रोल का मतलब यही होता है कि आप ऐसे सोने को बाहर निकालें। लेकिन वास्तव में इस बिल के द्वारा आप ट्रेडर्स पर रोक लगाने जा रहे हैं या यो कहें कि उनको

तकलीफ में डालने जा रहे हैं। इसलिए जो आप का काम है, उसी के मुताबिक नाम होना चाहिये, न कि आंख का अंधा नाम नयनसुख। यह गलत तरीका है। इस लिये मैं चाहता हूँ कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : चेयरमैन साहब, मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि बैंक नेशनलाइजेशन के अगेन्स्ट जो रिट एप्लीकेशन्स दाखिल हुई थीं और उनमें स्टे आर्डर मिला था उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और श्री मधोक और मसानी साहब ने भी अपनी दरख्वास्त वापिस ले ली हैं।

[شری اسحاق سنبھلی (امروہہ) - چیرمین صاحب - میں آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ بینک نیشنلائیزیشن کے اگینسٹ جو رٹ ایپلیکیشنس داخل ہوئی تھیں اور ان میں اسٹے آرڈر ملا تھا ان کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ شری مدھوک اور مسانی صاحب نے بھی اپنی درخواستیں واپس لے لی ہیں۔]

सभापति महोदय : आप कृपा करके बैठिए।

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य ने ऐक्ट का टाइटिल बदलने के लिए कहा है। जहां तक इस गोल्ड कन्ट्रोल अमेंडमेंट बिल का ताल्लुक है इसकी जिन्दगी लिमिटेड है, महदूद है क्योंकि यह पैरेन्ट ऐक्ट, गोल्ड कन्ट्रोल ऐक्ट का एक हिस्सा बन जायेगा, जोकि इस सदन द्वारा पास किया हुआ रखा है। जितनी धारायें इसमें परिवर्तित की हैं वह उसमें समाविष्ट हो जायेंगी। इसलिए माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसी सूरत में मैं माननीय सदस्य के सुझाव को मानने में असमर्थ हूँ।

MR. CHAIRMAN : The question is :

Page 1—

for lines 3 and 4, *substitute*—

"1. (1) This Act may be called the Gold Trade Control Bill, 1969". (3)

The Lok Sabha divided :

Division No. 18] [16.35 hrs.

AYES

Abraham, Shri K. M.
Atam Das, Shri
Banerjee, Shri S. M.
Basu, Shri Jyotirmoy
Behera, Shri Baidhar
Deb, Shri D. N.
Dhandapani, Shri
Esthose, Shri P. P.
Jha, Shri Bhogendra
Jha, Shri Shiva Chandra
Khan, Shri H. Ajmal
Khan, Shri Ghayoor Ali
Kushwah, Shri Yashwant Singh
Limaye, Shri Madhu
Mangalathumadam, Shri
Menon, Shri Vishwanatha
Misra, Shri Janeshwar
Molahu Prasad, Shri
Nambiar, Shri
Paswan, Shri Kedar
Patil, Shri N. R.
Ramani, Shri K.
Sambhali, Shri Ishaq
Saminathan, Shri
Santosham, Dr. M.
Sharma, Shri Yogendra
Shastri, Shri Ramavatar
Somani, Shri N. K.
Sreedharan, Shri A.
Yadav, Shri Ram Sewak

NOES

Agadi, Shri S. A.
Ahmed, Shri F. A.
Arumugam, Shri R. S.
Asghar Husain, Shri
Awadesh Chandra Singh, Shri
Babunath Singh, Shri
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Baswant, Shri
Besra, Shri S. C.
Bhagat, Shri B. R.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava, Shri B. N.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Birua, Shri Kolai
Buta Singh, Shri
Chavan, Shri Y. B.
Choudhary, Shri Valmiki
Choudhury, Shri J. K.
Dasappa, Shri Tulsidas

Dass, Shri C.
Deoghare, Shri N. R.
Deshmukh, Shri Shivajirao S.
Devinder Singh, Shri
Dhuleshwar Meena, Shri
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ering, Shri D.
Ganesh, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Gautam, Shri C. D.
Gavit, Shri Tukaram
Ghosh, Shri Parimal
Gudadinni, Shri B. K.
Hari Krishna, Shri
Hazarika, Shri J. N.
Hem Raj, Shri
Himatsingka, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V. N.
Jaggaiah, Shri K.
Jamir, Shri S. C.
Jamna Lal, Shri
Karan Singh, Dr.
Kavade, Shri B. R.
Kedaria, Shri C. M.
Khan, Shri M. A.
Kinder Lal, Shri
Kisku, Shri A. K.
Krishnan, Shri G. Y.
Kureel, Shri B. N.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Laskar, Shri N. R.
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahajan, Shri Vikram Chand
Maharaj Singh, Shri
Malhotra, Shri Inder J.
Mandal, Dr. P.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mane, Shri Shankarrao
Marandi, Shri
Master, Shri Bhola Nath
Mehta, Shri Asoka
Mekote, Dr.
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mohammad Yusuf, Shri
Mohsin, Shri
Mondal, Shri Jugal
Mrityunjay Prasad Shri
Murti, Shri M. S.
Nahata, Shri Amrit
Naidu, Shri Chengalraya
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri Jagannath
Palchoudhuri, Shrimati Ila
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Patil, Shri C. A.
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. B.
Poonacha, Shri C. M.
Pramanik, Shri J. N.
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Radhabai, Shrimati B.
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Rajasekharan, Shri
Raju, Shri D. B.
Raju, Dr. D. S.
Ram, Shri T.
Ram Dhani Das, Shri
Ram Sewak, Shri Chowdhary
Ram Swarup, Shri
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Randhir Singh, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Shri Muthyal
Rao, Dr. V. K. R. V.
Reddy, Shri Ganga
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saleem, Shri M. Yunus
Sambasivam, Shri
Sanji Rupji, Shri
Sarma, Shri A. T.
Sayeed, Shri P. M.
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Sethi, Shri P. C.
Sethuraman, Shri N.
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri B.
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shinde, Shri Annasahib
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddheshwar Prasad, Shri
Sinha, Shri Mudrika
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Snatak, Shri Nar Deo
Solanki, Shri S. M.
Sunder Lal, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Tula Ram, Shri
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Balgovind
Verma, Shri Prem Chand
Yadav, Shri Chandra Jeet

MR. CHAIRMAN : The result* of the division is : Ayes—30 ; Noes—135.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 1, the Enacting Formula snd the Title were added to the Bill.

SHRI P. C. SETHI : I move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill be passed."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, अभी कांग्रेस पार्टी ने श्री शिव चन्द्र झा के संशोधन के खिलाफ यहां पर वोट दिया है। उन्होंने अपने संशोधन में कहा था कि आप केवल सुवर्ण के व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, स्वर्ण पर नहीं, लेकिन उनके संशोधन को गिराकर कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया है कि नहीं हम सुवर्ण पर भी नियंत्रण रखना चाहते हैं। आखिरकार, सोना क्या चीज है ? सोना सम्पत्ति के प्रति मोह का प्रतीक मात्र है। इस देश में प्राचीन ऋषियों के जमाने से, उपनिषद और गीता के जमाने से सम्पत्ति के प्रति निर्मोही बनाने का सन्देश हिन्दुस्तान की जनता को और दुनिया को दिया गया है। और इन लोगों का यह दावा रहा है कि हम इन सिद्धान्तों पर चलते हैं। सम्पत्ति के बारे में इस समय दो सिद्धान्त हमारे सामने हैं—एक कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जिसमें सामाजिक संस्था के रूप में सम्पत्ति को खत्म करने की बात है और दूसरा यह गीता उपनिषद वाला सिद्धांत जिसमें हर व्यक्ति के मन में सुवर्ण और सम्पत्ति के प्रति जो मोह है उसको खत्म करने की बात है, मन ही को अनासक्त और निर्मोही बनाने की बात है। सामाजिक संस्था के रूप में सम्पत्ति को खत्म करने का प्रयोग सोवियत रूस में सबसे पहले हुआ। दो दफा मैं रूस गया था। वहां मैंने यह जानने की कोशिश की कि जिस देश में सम्पत्ति का सामाजिक संस्था के रूप में खात्मा हो चुका है, क्या उसमें नया मानव बना है। इस प्रकार मैंने सोवियत मानव का अध्ययन करने की कोशिश की लेकिन इसमें 50 साल के इंकलाब के बाद, मुझे बड़ी निराशा हुई। दो दफा वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता जो हमारे साथ अनुवाद आदि करने के लिये दिये गये थे, मैंने उनके मन को बहुत गहराई में जाकर अध्ययन करने की कोशिश की परन्तु मैं दंग रह गया। अक्तूबर, 1917 में जिन आदर्शों से, जिन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर रूस में क्रान्ति की गई, मैंने जानने की कोशिश की कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो अफसरान और कर्मचारी, फंक्शनरीज, हैं क्या इनमें अब कोई इस तरह की आदर्शवाद की प्रेरणा है ? और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक अफसर और कर्मचारी, फंक्शनरीज हैं, उनके सामने कोई आदर्श और उदात्त तस्वीर नहीं है। हमारे साथ जो दो लोग रहे दोनों ने मुझको यह बताने की कोशिश की कि हमको अच्छा फ्लैट मिला है, हमारे पास सुन्दर फ्रिज है, हमारे घर में वाशिंग मशीन है, हमारे घर में टेलीविजन है, हमारे बच्चे विशेष स्कूल में पढ़ते हैं और हमारी बीबी सुन्दर है। तो सुन्दर बीबी के बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां तक बाकी चीजों का सवाल है मैंने अपने मन में यह सवाल किया कि क्या 50 साल की क्रांति के बाद भी इसी तरह का भौतिक आसक्ति वाला ही इन्सान पैदा करना यह कार्ल मार्क्स और लेनिन का उद्देश्य था ? अभी तक मुझे इस का ठीक जवाब नहीं मिला।

अब मैं अपने देश की ओर देखता हूं जिस में सम्पत्ति के प्रति इन्सान को निर्मोही और

*The following Members also recorded their votes :

AYES : Sarvashri George Fernandes, J. M. Biswas, G. Viswanathan, P. Gopalan, Lobo Prabhu, and Brij Bhushan Lal ;

NOES : Sarvashri Manibhai J. Patel and B. P. Mandal.

[श्री मधु लिमये]

अनासक्त बनाने की बात है। विनोबा जी का एक वाक्य था असंग्रह, अपरिग्रह आदि चीजें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्वार्थ, मोह और आसक्ति की जितनी भट्टी यहां जल रही है शायद ही किसी दूसरे देश में इतनी जल रही है। तो आखिरकार क्या बात है कि सम्पत्ति का सामाजिक संस्था के रूप में जहां खात्मा हुआ वहां नया मानव पैदा नहीं हो पाया। और जहां सम्पत्ति के प्रति इन्सान के मन में आसक्ति न रहे, मोह न रहे, इस तरह का दर्शन रहा, वहां भी स्वार्थ की भट्टी बुझ नहीं पायी ?

तो कभी कभी हमारा नेता कहता था कि हम ऐसे समाज के लिये लड़ें जिस में कार्ल मार्क्स वाली बात, यानी सम्पत्ति का सामाजिक संस्था के रूप में खात्मा और इन्सान को अनासक्त और निर्मोही बनाने वाला दर्शन दोनों का समन्वय मिलाप होगा। अगर इस तरह की कोई मिली-जुली एक मुकम्मिल क्रांति करने की चेष्टा होगी तो शायद नया युग नया जमाना आ सकता है।

इस स्वर्ण नियंत्रण कानून के बाद स्वर्ण के प्रति आसक्ति और मोह कम होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हुआ ? इसका सब से बड़ा कारण है, कानून बनाने वाले जो बड़े लोग हैं, और आज कांग्रेस पार्टी में सब से बड़ा व्यक्ति कौन है ? कुछ लोग कहेंगे कि निजलिंगप्पा साहब। लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि जिनके हाथ में सत्ता है वह इस वक्त सब से बड़ा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है प्रधान मंत्री। तो जब प्रधान मंत्री स्वयं देश में और देश के भविष्य में विश्वास नहीं रखती, और वह विश्वास सम्पत्ति में और जमीन में रखती हैं, तो कैसे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान के 40 करोड़ लोग भी सम्पत्ति और सोने के प्रति निर्मोही हो जायेंगे ?

सभापति महोदय, आप ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना सबूत दिये बात नहीं करनी चाहिए। अभी जो मैंने निवेदन किया कि प्रधान मंत्री भी सम्पत्ति और स्वर्ण के बारे में निर्मोही नहीं हुई हैं तो हिन्दुस्तान की बहनों को और औरतों को वह कैसे आवाहन कर सकती हैं, मैंने इसके बारे में एक सवाल पूछा था। इस सवाल को पढ़ने की आप इजाजत दीजिये, क्योंकि तारांकित प्रश्न के रूप में इस का उत्तर आ चुका है। उस ओर मैं सदन का ध्यान खींच रहा हूँ, कोई नई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मेरा यह सवाल था।

"Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Nehru House owned by Shrimati Indira Gandhi in Allahabad has been reassessed for the purposes of Wealth-tax ;

(b) whether any action has been taken against the Prime Minister for wrongly claiming exemption for ornaments......*(Interruption)*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : How is it relevant ?

श्री मधु लिमये : स्वामिभक्ति आप क्यों दिखाने लगे। सरकार द्वारा दिया गया जवाब ही पढ़ रहा हूँ।

सभापति महोदय : कल मैंने रूलिंग दी थी कि जो सबजेक्ट है उससे रेलीवेंसी होनी चाहिये।

श्री मधु लिमये : 'बी' और 'सी' रेलीवेंट हैं। 'ए' नहीं है।

सभापति महोदय : मैंने कहा कि जो भी डिस्कशन हो उससे रेलीवेंसी होनी चाहिये।

श्री रणधीर सिंह : नेहरू हाउस का इसमे क्या ताल्लुक है ?

सभापति महोदय : कल इसलिये मैंने ऐक्सपंज किया। अगर कोई बात रेलीवेंट नहीं होगी तो रेकार्ड पर आने पर भी एक्सपंज कर दूंगा। इसलिए जो चीज रेलीवेंट नहीं होगी वह देख कर रेकार्ड से हम निकाल देंगे।

श्री मधु लिमये : यह पार्लियामेंट में दिया गया उत्तर निकाल देंगे ।

सभापति महोदय : इस बिल से किस तरह से यह सम्बन्धित है ?

श्री मधु लिमये : सोने के बारे में ही बोल रहा हूँ ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, जो आपने कहा कि रेलीवेंट हो, मैं पूछता हूं कि इस सदन में कितनें भाषण होते हैं इस आधार पर 50 परसेंट जो बोला जाता है वह ऐक्सपंज होना चाहिये ।

सभापति महोदय : यह बात सही है ।

श्री मधु लिमये : आपकी बात को मान लिया ।

क्योंकि यह मिला जुला प्रश्न है इसलिये मैंने पढ़ा । खैर आप प्रश्न का 'बी' इसका 'ए' और 'सी' हिस्सा देखिये ।

"(b) whether any action has been taken against the Prime Minister for wrongly claiming exemption for ornaments worth Rs. 20,000 or so in her Wealth-tax returns ; and

(c) whether the source of these ornaments has been disclosed in view of the much...(*Interruption*)

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : On a point of order, Sir.

श्री रणधीर सिंह : चांदी, तांबे और हीरे के ओरनामेंट हो सकते हैं ।

सभापति महोदय : यह कैसे रेलीवेंट है, बताइये । मैं इसको रेलीवेंट नहीं समझता हूं । आप बताइये कि कैसे यह रेलीवेंट है ।

श्री मधु लिमये : जो मैं कह रहा हूँ उसको कृपया सुनिये ।

आप स्वर्ण नियंत्रण करना चाहते हैं । स्वर्ण के प्रति जनता के मोह को खत्म करना चाहते हैं । जब हिन्दुस्तान के बड़े व्यक्ति अपने मन से स्वर्ण से मोह को नहीं निकालेंगे वह क्या खाक जनता से अपेक्षा करेंगे कि जनता उसके मोह को छोड़े । क्या यह रेलीवेंट नहीं है ?

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : There is a procedure prescribed. That procedure has to be followed.

सभापति महोदय : उनके क्वेश्चन पर सरकार ने जो जवाब दिया है, उसका रेफरेंस दे रहे हैं । यह डाकूमेंट नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि जो आपकी सरकार ने जवाब दिया है उसका रेफरेंस दे रहे हैं ।

श्री रणधीर सिंह : विरोध बेंचेज पर 80 परसेंट जो मेम्बर्स हैं उनकी बीबियों के पास काफी ओरनामेंट्स हैं । माननीय कंवर लाल गुप्त जी की बीबी के पास 50,000 रु० के ओरनामेंट्स होंगे, और माननीय लोबो प्रभू की वाइफ के पास भी काफी ओरनामेंट्स हैं ।

सभापति महोदय : यह तो बहस की बात वह कर रहे हैं । सोना तो सबके पास है ।

श्री मधु लिमये : मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम सभी लोग चाहते हैं कि सोना निकले । हम सोने पर विश्वास न करें, देश पर विश्वास करें, देश के भविष्य पर विश्वास करें, देश की अर्थ-व्यवस्था पर विश्वास करें । क्योंकि सोने का मतलब क्या है ? जो अपने कष्ट से, श्रम से या व्यवसाय से अर्जित किया है ।

श्री रणधीर सिंह : हमारी भाभी साहबा के पास कितने ओरनामेंट्स हैं ? दावे से कह सकता हूं कि 20,000 रु० से ज्यादा के हैं ।

श्री मधु लिमये : आप को कैसे मालूम हुआ ?

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : The hon. Member from Haryana is bringing it to a low level......(*Interruptions*)

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : As if you are bringing it to a high level. *(Interruptions)*.

श्री मधु लिमये : मैं दार्शनिक रूप में ले गया ।

सभापति महोदय : कोई आदमी बिना मेरी परमिशन के न बोले । अगर कोई बोलता है तो वह ठीक नहीं है और वह रेकार्ड पर नहीं जायेगा ।

श्री मधु लिमये : मैं प्रश्न का पूरा हिस्सा नहीं पढ़ पाया । मेरा प्रश्न था :

> "Whether the source of these ornaments has been disclosed in view of the much advertised statement of the present Prime Minister in 1962 that she had donated her gold ornaments to the nation."

अब जो उनका उत्तर है (ए) का मैं उसको छोड़ता हूं । मैं इलाहाबाद के घर की बात नहीं बतलाता हूँ । उसमें बतालाया गया है पौने दो लाख, लेकिन उसको छोड़ता हूँ । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहें आप दूसरों से बात मत कीजिये । **(व्यवधान)**

श्री रणधीर सिंह : यह हमारे पसीने की कमाई है, इसमें इसका क्या ताल्लुक है । मैं आप की रूलिंग चाहता हूं ।

सभापति महोदय : पहले गवर्नमेंट ने जवाब दिया है । अगर यह दूसरी जगह से होता तो मैं रिकार्ड पर नहीं जाने देता । लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य डिबेट के स्तर को नीचे न गिरायें ।

श्री मधु लिमये : ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं ।

सभापति महोदय : आप इसके बारे में जो कहेंगे और जो रिफरेंस देंगे, चूंकि वह अनस्टार्ड क्वेश्चन का जवाब है, इसलिये मैं उसको रखने दे रहा हूं अगर कोई दूसरा डाकुमेंट होता तो मैं उसको न रखने देता । अब आप समाप्त कीजिये और जो कुछ कहना है उसको जल्दी कहिये ।

श्री मधु लिमये :

> "(c) the source of the ornaments which have been coming down since years past is not in doubt. At the time of the Chinese aggression in November, 1962, the Prime Minister donated practically all her gold ornaments to the National Defence Fund."

अब ये "आल गोल्ड" की जगह "प्रैक्टिकली आल गोल्ड" पर आ गये । हमारे सामने ऐसे कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं कि कितने गहने थे और कितने दान में दिये ।

सभापति महोदय : मैं इसको अलाऊ नहीं करता ।

श्री मधु लिमये : मैंने इसको छोड़ दिया !

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : This is not relevant......*(Interruptions)*. **

सभापति महोदय : यह रेकार्ड पर नहीं जायेगा ।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : He is casting aspersions. You say, either they are complimentary or not complimentary......*(Interruptions)* **

MR. CHAIRMAN : That will not go no record.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Are we supposed to say only things which are complimentary to the Prime Minister ? What kind of an objection is being raised ? *(Interruptions)*. They are wasting the time of the House.

सभापति महोदय : अगर आप सुन नहीं सकते हैं तो दो मिनट के लिए बाहर चले जायें और फिर बाद में अन्दर आ जायें ।

जो कहा गया है उसकी परमिशन हम नहीं दे रहे हैं और जो रेफेंस दिया है, उसको हम रिकार्ड से हटा रहे हैं ।

**Not recorded

श्री मधु लिमये : मैं प्रधान मन्त्री का नाम नहीं लेता हूँ । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सामाजिक संस्था सम्पत्ति का विसर्जन करें । हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है और इसलिए किया है कि सामाजिक संस्था के रूप में स्वर्ण और सम्पति का विसर्जन करने के कार्य में वह एक कदम था । इसलिए हमने उसका स्वागत किया है । इस तरह के सभी कदमों का मैं स्वागत करूंगा । लेकिन साथ साथ मेरा निवेदन हैं कि समाज के बड़े व्यक्ति, समाज के बड़े नेता, साधारण लोगों को यह बतायें कि हम को आप पर विश्वास है, इस देश पर विश्वास है, इस देश के भविष्य पर विश्वास है और आपको भी करना चाहिये, स्वर्ण पर नहीं करना चाहिये । जब तक यह आदर्श हम पेश नहीं करेंगे, आप लाख स्वर्ण कानून बनाइये, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है ।

MR. CHAIRMAN : I want to make one point clear. If anybody will refer to any person, on this side or that side, I will not allow it to go on record and I will ask him to sit down, and if he does not sit down, I will request him to go out. I have taken a firm decision. Therefore, the members should stick to the point and not go astray.

SHRI BAL RAJ MADHOK : How can you put any such restriction ? In whatever Mr. Madhu Limaye has said, we may agree or may not agree, but there was nothing unparliamentary in that ; he was only quoting question and answer...(*Interruptions*)

SHRI HARDAYAL DEVGUN (East Delhi) : This cannot be tolerated.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : यह आप बहुत गलत काम कर रहे हैं । यह नहीं हो सकता है ।

SHRI M. L. SONDHI : Why should anybody be so sensitive ? They are absolute rulers. Absolute power corrupts absolutely. This is a very serious matter. How can this ruling go down ?

MR. CHAIRMAN : I will not allow any aspersions against any member.

SHRI M. L. SONDHI : You must consider it a little more coolly. You cannot say that it will not go on record. The very purpose of democracy is to criticise. We must have the right to criticise.

MR. CHAIRMAN : You have the right to criticise, but no aspersions should be cast against anybody.

SHRI M. L. SONDHI : Ours is a democracy ; it is not a monarchical system. They are setting a bad example. We have not done anything. We are prepared to abide by what you say, but they provoke you and make you give such a ruling.

श्री कंवरलाल गुप्त : भरत राम के केस में डिप्टी स्पीकर ने क्या रूलिंग दिया था उसको आप देखें प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो जवाब दिया है, उसको अगर कोट भी नहीं किया जा सकता है, तो यह बहुत गलत बात है । उसको कोट तो करने दें ।

SHRI BAL RAJ MADHOK : You are playing the role of courtiers. You are hon. members ; you are not courtiers.

श्री रणधीर सिंह : यह क्या ऊटपटांग बातें कर रहे हैं । सियासी बदला निकाल रहे हैं ।

17.00 hrs.

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आप से एक जानकारी चाहता हूँ कि मैंने अभी जो प्रश्न और उत्तर पढ़े हैं, क्या आपने उन्हें रिकार्ड से निकाल दिया है ?

सभापति महोदय : मैंने यह नहीं कहा है लेकिन...

श्री मधु लिमये : कुछ माननीय सदस्यों को इस बारे में गलत-फहमी हो गई है ।

सभापति महोदय : लास्ट पोर्शन को मैंने निकाल दिया है, जिस में एसपर्शन मालूम हुआ ।

श्री मधु लिमये : मैंने कोई एसपर्शन नहीं किया है । अगर आप मेरे भाषण में से ऐसा एक भी शब्द निकालेंगे, जो इर्रेलिवेंट या अन-पार्लियामेंटरी हो, तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं । इस बारे में अभी फैसला हो जाना चाहिए । यह पार्लियामेंट इस तरह नहीं चल सकती है । आप हमारी जुबान को बन्द करना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : आपकी जबर्दस्ती भी नहीं चल सकती है ।

श्री मधु लिमये : इस बात का यही फैसला हो जाना चाहिए । आप तो पैनल आफ चेयरमैन हैं, लेकिन जो काम स्पीकर ने भी नहीं किया है, वह आप कर रहे हैं । कल भी आपने ऐसा ही किया था । मेरे भाषण का एक शब्द भी नहीं निकाला जाना चाहिए । मैं ने कुछ अनपार्लियामेंटरी नहीं कहा है ।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड मंगा कर देखूंगा ।

SHRI NAMBIAR : I want to speak on the Bill. As stated in the Statement of Objects and Reasons, the object is to rectify certain observations made by the Supreme Court. The Supreme Court has struck down 5 (2) (b), 27 (2) (d), 32, 46, 88 and 100. Now in the Statement of Objects and Reasons it is stated that the above mentioned provisions which have been declared by the Supreme Court to be invalid are being substituted by new provisions which have been drafted having regard to the observations made by the Supreme Court, and, therefore, redrafted to fill up the blank. That is all that they say. Certain other provisions of the Act which are similar in nature to these which have been declared invalid are also being modified in the light of the observations made by the Supreme Court. Therefore, this is an attempt to circumvent the declaration of the Supreme Court and to plug the holes. That is all. That is very glaringly admitted. But the purpose for which the Supreme Court has struck down these sections is that these are illegal provisions. They are being changed now by saying that they can be made legal again by adding here and there some words or substracting some words. That is not the way the Government should behave. When a provision of an Act is contrary to the provisions of the Constitution and it is bad in law, Government must give it up rather than taking it back in another manner.

Further it says that 'Opportunity is also being taken to amend' some other provisions of the Act—Sections so-and-so. In this way they are amending certain other sections also. What does it mean ? They want to utilise the opportunity to tighten it and not to liberalise it according to the wishes of the Supreme Court. After all, this is a legislation which is brought in against the people and not in their favour, but in the garb of fighting smuggling of gold. It directly affects the people who are having a little gold in the name of ornaments. It is for their safety and security. Banks are not available in the country side. To say that the nationalised banks will give credit to the rural population will take a long time to come. People do not get credit or loans in the rural areas without this yellow metal. That is the unfortunate situation in this country. Therefore, we cannot make a revolutionary change in such a way that the entire 50 crores of the people, both men, women and children will get away from the lure of gold and will behave in an angelic manner. It is not possible. Therefore, the feeling of the people and the provisions of the Constitution and the law are to be taken into consideration by the Government while amending the law.

All these considerations have not been taken into account. They are given the go-by. It is openly declared in the statement of objects and reasons. Therefore, the very concept of the amending Bill is wrong, ill-advised.

What the Government should have done was to look at the Gold Control Order from its very foundation, see what all changes were required so that it was radically mended or ended taking the nation into confidence. This was specially necessary after Morarjibhai had gone out. It is

Morarjibhai's child, baby. Why should Indira *Amma* take the baby on her lap? She should throw the baby along with the bathwater. Indiraji should not have accepted it, something which is unnecessary and not accepted by the people of India. She should have taken credit for doing so. The sooner she understands it the better.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, मुझे जो बातें कहनी थीं वह फर्स्ट रीडिंग में मैं कह चुका और मैं अब भी निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि क्योंकि जिस मकसद के लिए यह गोल्ड कंट्रोल बिल वह लाये थे वह एक भी मकसद हल नहीं हुआ, आप देखिये तस्कर व्यापार ज्यों का त्यों जारी है, सोने के दाम घटे नहीं, छिपा हुआ सोना बाहर आया नहीं, यह तीनों मकसद इसके पूरे नहीं हुए तो मैं समझता हूं कि सिर्फ इसी वजह से जैसा मेरे साथी नम्बियार ने कहा कि किसी चीज को हमने लागू कर दिया और लागू करने के बाद नाकामयाब होने के बावजूद भी उसको जबर्दस्ती लागू रखने की कोशिश की जाय तो यह गलत है। सिर्फ स्वर्णकारों के हित में ही नहीं, देश के हित में भी होगा कि आज इस कानून को हटा लिया जाय। यह खत्म कर दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में वह सोचें और प्रधान मंत्री जी भी सोचें क्योंकि इस वक्त वह देश की वित्त मंत्री भी हैं और ठंडे दिल से सोचने के बाद, वह अगर इस फैसले पर पहुंच जांय, स्वर्णकारों से मिलने के बाद और दूसरे विरोधी दल के लोगों से तथा कांग्रेस दल के लोगों से भी मिलने के बाद अगर वह इस नतीजे पर पहुंच जाय कि यह स्वर्ण नियंत्रण जो लागू किया गया था वह जिस मकसद के लिए लागू हुआ था, वह मकसद उस से हल नहीं हुए तो अभी नहीं तो अगले सैशन में वह इसको वापस ले लें, यह मेरा निवेदन है।

श्री बलराज मधोक : सभापति जी, यह अमेंडिंग बिल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रद्द करने के लिए लाया गया है। हमारे संविधान के मुताबिक लेजिस्लेचर और जुडिशियरी यह अलग-अलग चीजें हैं और सुप्रीम कोर्ट का सब से बड़ा उद्देश्य यह है कि वह देखे कि जो कानून बनते हैं वह देश के संविधान के मुताबिक बनते हैं या नहीं बनते हैं। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई निर्णय देता है तो बजाय इसके कि उस पर विचार करें, यह सरकार उस निर्णय को सर्कमवेंट करने की कोशिश करती है और उसके लिए इस तरह के बिल लाती है। इसका अर्थ यह है कि इसका शायद अपने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, इसका शायद अपने संविधान पर विश्वास नहीं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मखौल उड़ा कर हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं। जहां तक इस कानून का ताल्लुक है इस कानून का शुरू से इस देश की जनता ने विरोध किया है। जैसा हमारे भाई बैनर्जी ने कहा कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह कानून बनाया गया था उनमें से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। कहा गया कि सोने का बड़ा तस्कर व्यापार होता है। यहां पर इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर में एक क्वेश्चन आन्सर सेशन था, उसमें हमारे जो चीफ हैं कस्टम्ज के, श्री आर० प्रसाद, उनसे सवाल पूछा गया कि आपके अनुमान के मुताबिक कितना सोना हर साल स्मगलिंग होता है देश के अन्दर तो उन्होंने कहा कि मेरे अनुमान के अनुसार मैं समझता हूं कि कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का सोना हर साल स्मगिंग होता है। यह वास्तविक स्थिति है। स्मग्लिंग बन्द नहीं हुआ अब बढ़ रहा है। फिर जो लोग यह गहने बनाते थे आपने उनमें से बहुतों को बेरोजगार किया। अब वह अपना गुजारा कैसे करें? आज भी वह गहने बना रहे हैं। इस कानून के द्वारा इतना ही फर्क पड़ा है कि जो लोग दयानतदारी से अपनी रोटी कमाते थे, अब उनको बेईमान बन कर कमाना पड़ता है। आप लोगों को जानबूझ कर बेईमान बनाने पर तुले हुए हैं।

जहां तक सोने के मोह का ताल्लुक है—

[श्री बलराज मधोक]

अभी मधु लिमये जी ने कहा, तो हमारे कुछ भाइयों ने विरोध किया—परन्तु मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मेरी पत्नी को भी मोह है सोने के गहनों से। अगर इस देश की प्रधान मंत्री जो समाजवाद का नाम लेती हैं, गरीबों की हमदर्द बनती हैं मगर पचास लाख रुपये का महल बनवाती है—अगर उसको सोने से इतना मोह है तो मेरी और आपकी पत्नी को अगर सोने का मोह रहे तो इसमें कौन सी हैरानी की बात है। उन्होंने अभी जो रोल इस हाउस में प्ले किया, वह उनकी शान के शांया नहीं था, इस प्रकार का कोर्टियर का रोल इस हाउस में किसी को प्ले नहीं करना चाहिए। हम जनता के नुमाइंदे हैं, किसी आदमी के नुमाइंदे नहीं हैं। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस प्रकार का रोल इस हाउस के अन्दर कोई मेम्बर प्ले न करे।......

चौधरी रणधीर सिंह : आप जनसंघ के कोर्टियर हैं और जो भाई आपके साथ बैठे हैं, वह उन के कोर्टियर हैं, उसी तरह से मैं अगर अपनी प्राइम मिनिस्टर का कोर्टियर हूं, तो मैं इसमें बुरा नहीं मानता। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं चाहता हूं कि बहस का लेवल ऊंचा बना रहे और हमारा आपका प्यार बना रहे। आपने दो बातें कही, मैंने 3 सुना दीं, मेरी ज़ुबान आपसे कम नहीं है। आप पंजाब के हैं तो मैं हरियाणा का हूं "एक झाबर की तो एक बाबर की, दोनों थोक बराबर की।"

श्री बलराज मधोक : चौधरी साहब, मेरा यही कहना है कि हम किसी व्यक्ति का कोर्टियर न बनें। मैं अपनी पार्टी का मेम्बर हूं, उसके व्यू-प्वाइंट को जाहिर करना मेरा फर्ज है। आप कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस का व्यू-प्वाइंट जाहिर कीजिये, लेकिन किसी आदमी का कोर्टियर न बनिये, इस हाउस की प्रेस्टिज इस बात की मांग करती है किसी व्यक्ति का चाहे वह प्रधान मंत्री हो या कोई हो, उसका कोर्टियर मत बनिये। न यह आपके लिए अच्छा है और न मेरे लिए अच्छा है और इस हाउस की प्रेस्टिज के भी अनुरूप नहीं है। यह मेरी प्रार्थना है—आप स्वीकार करें तो ठीक है, न स्वीकार करें तो मैं केवल प्रार्थना ही कर सकता हूं।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि इस देश के अन्दर लोगों में सोने का मोह है, यह जा सके—इसके लिए हमारे शास्त्रों ने बहुत सी बातें कही हैं लेकिन हम उनको अपने जीवन में अपना नहीं पाये इस कानून से केवल इतना ही हुआ है कि जो काम पहले खुले आम होता था, वह अब बेईमानी से होता है। इसलिए इस कानून के बनाने का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ। इसलिये मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं—इट इज़ नेवर टू लेट टु मेंड—किसी चीज को सुधारने में कभी देर नहीं होती है। यह गलती तब हुई—जब मोरारजी भाई इसको लाये। उस समय मोरारजी भाई को फेनेटिक कहा गया, उन को एक सनक है, जिसको वह जरूर पूरा करेंगे। लेकिन अब तो मोरारजी भाई भी नहीं हैं जैसा नम्बियार साहब ने कहा है—अगर हमारे नये वित्त मंत्री जरा हिम्मत करें तो यह बिल ही नहीं, इस सारे कानून को वापस लिया जाना चाहिए। गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर गलत सिद्ध हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, उसमें से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इससे लाखों, करोड़ों लोग बेकाम और बेरोजगार हो गये हैं। इससे देश में बेईमानी बढ़ी है, तस्कर व्यापार नहीं रुका है। इन सब बातों पर विचार करते हुए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वह इस गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर को वापस लें और जो अमेण्डिंग बिल लाये हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को खत्म करने के लिये लाया गया है, इसको कम से कम वापस लें।

श्री अब्दुलगनी डार (गुड़गांव) : चेयरमैन साहब, मुझे इस थर्ड स्टेज पर कुछ ज्यादा नहीं कहना है। सरकार इस बात को जानती है कि

जब शुरू शुरू में इस गोल्ड कन्ट्रोल बिल को लाये, उस वक्त तकरीबन 160 आदमियों ने खुदकुशी की थी, हाराकारी की थी। क्यों की थी? इसलिए कि वे अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकते थे। उसके बाद सरकार ने चाहा कि किसी तरह से कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाय कि जिससे स्वर्णकारों की बेकारी भी न बढ़े, बेरोजगारी न बढ़े और लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा इस बात पर मजबूर न करें कि वे बेईमानी से या छिप कर काम करें। तो सरकार ने इस तरफ कुछ सोचना शुरू किया। अब मेरा ख्याल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने काफी से ज्यादा दफाआत के बारे में कह दिया है कि वे आईन के खिलाफ हैं और चूंकि आईन के बनाने वाले ये लोग हैं और चलाने वाले ये लोग हैं, तो मैं समझा था कि अब शायद इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जायेगा। गांधी जी ने जो कुछ किया उसमें किसी पर तशद्दुद से काम नहीं लिया बल्कि अपने पीछे करोड़ों को लगाया। वह चले गये उन्होंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ कि किस लिए आप इस मुसीबत में पड़ते हैं जिसमें कुछ भी मिलने का नहीं। जैसा कि मघोक जी ने कहा और खुद सरकार मानती है कि एक हजार करोड़ का सोना स्मगिल होता है इसके माने यह हैं कि जो स्मगलर्स हैं उनकी आप बड़ी सर्विस करते हैं। यहाँ पर पहले पाकिस्तान से सोना आता था क्योंकि वहाँ पर सस्ता था लेकिन अब वहां पर मंहगा हो गया है इसलिए वहाँ से आना बन्द हो गया। अब कुवैत या जहां जहां पर भी पेट्रोल है वहां पर सोना बहुत सस्ता है और वहाँ से ही यहां पर सोना आता है। अगर आपको सोने की दरकार है तो स्मगलर्स को सजा के बदले इनाम दीजिये क्योंकि सरकार चाहती है कि यहां पर सोना आये। मैं चाहूँगा कि जब वजीर साहब जवाब दें तो इस बात को बतायें कि जितनी करेन्सी आपने जारी की है क्या उसके बराबर आपके पास सोना है। अगर है और जो आपने डिवैलुएशन किया करेन्सी का तो क्या इस बात का खतरा पैदा नहीं हो गया कि फिर डीवेलुएशन करना पड़े। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि ऐसा बिल लाने की कोशिश करें जिससे जनता का मोराल उठे। गांधी जी का जो नारा सत्य और अहिंसा का था उसका नक्श एक एक के दिमाग में बैठ जाये कि अगर देश को उठाना है तो सच्चाई से उठाना है, फरेब से नहीं उठाना है। मेरी बहन के पास कितना है, मैं इस बात को नहीं कहता – इस वक्त किसी की जायदाद पर हमें बहस नहीं करनी है बल्कि गोल्ड पर बहस करनी है। जब वह मामला आयेगा तब उस पर भी बताऊंगा अभी तो गोल्ड की बात चल रही है। मैं हुब्बुलवतनी के नाम पर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा बिल न लायें जिससे सुप्रीम कोर्ट में आपकी निन्दा हो। अगर जीना है तो एक्जीक्यूटिव को भी जीना है और जुडीशियरी को भी जीना है। वरना तो फिर ला आफ जंगिल हो जायेगा। जैसा कि मुझे डर है, आज अर्जुन अरोड़ा सामने आये हैं कांग्रेस से बगावत करने के लिये और कल पता नहीं और कौन कौन बगावत करने लगेंगे। इसलिये आप ऐसा न कीजिये बल्कि मोहब्बत से हमारे दिल जीतिये, जनता के दिल जीतिये। हम आपके साथ हैं, हम आपके सेवक हैं और आपके साथ रहेंगे, हर अच्छे मूव में आपका साथ देंगे।

[شری عبدالغنی ڈار (گوڑگانوہ) چیرمین صاحب مجھے اس مو ضوع پر کچھ زیادہ نہیں کہنا ہے۔ سرکار اس بات کو جانتی ہے کہ جب شروع شروع میں اس گولڈ کنڑول بل کو لائے اس وقت تقریباً ۱۶۰ آدمیوں نے خودکشی کی تھی۔ ہاراکیری کی تھی۔ کیوں کی تھی اس لئے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتے تھے اس کے بعد سرکار نے چاہا کہ کسی طرح سے کچھ ایسا راستہ نکالا جائے کہ جسے سونرکاروں کی بیکاری بھی نہ بڑھے۔ بیروزگاری نہ بڑھے اور لوگوں کو ہم اس بات پر زیادہ سے زیادہ مجبور نہ کریں کہ وہ بے ایمانی سے یا چھپکر کام کریں۔ سرکار نے اس طرف کچھ سوچنا شروع کیا۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کافی سے زیادہ دفعات کے بارے میں کہ دیا ہے کہ وے آئین کے خلاف ہیں اور چونکہ آئین کے بنانے والے یہ لوگ ہیں اور چلانے والے یہ لوگ ہیں

تو میں سمجھا تھا کہ اب شاید اس چیز کو کلوز کر دیا جائے گا۔ گاندھی جی نے جو کچھ کہا اس میں کسی پر تشدد سے کام نہیں لیا بلکہ آپ نے تیچے کروڑوں کو لگایا۔ وہ چلے گئے۔ انھوں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں سرکار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس لئے آپ اس مصیبت میں پڑتے ہیں۔ جس میں کچھ بھی ملنے کا نہیں جیسا کہ مدھوک جی نے کہا اور خود سرکار مانتی ہے کہ ایک ہزار کروڑ کا سونا اسمگل ہوتا ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ جو اسمگلرز ہیں۔ ان کی آپ بڑی سروس کرتے ہیں یہاں پر پہلے پاکستان سے سونا آتا تھا کیونکہ وہاں پر سستا تھا لیکن اب وہاں پر مہنگا ہو گیا ہے۔ اس لئے وہاں سے آنا بند ہو گیا۔ اب کویت یا جہاں جہاں پر بھی پیٹرول ہے وہاں پر سونا بہت سستا ہے اور وہاں سے ہی یہاں پر سونا آتا ہے۔ اگر آپ کو سونے کی درکار ہے تو اسمگلرز کو سزا کے بدلے انعام دیجیئے۔ کیونکہ سرکار چاہتی ہے کہ یہاں پر سونا آئے۔ میں چاہوں گا کہ جب وزیر صاحب جواب دیں تو اس بات کو بتائیں کہ جتنی کرنسی آپ نے جاری کی ہے کیا اس کے برابر آپ کے پاس سونا ہے۔ اگر ہے اور جو آپ نے ڈیویلیوئیشن کیا کرنسی کا تو کیا اس بات کا خطرہ پیدا نہیں ہو گیا کہ پھر ڈیویلیوئیشن کرنا پڑے۔ تو میں یہ عرض کرونگا کہ ایسا بل لانے کی کوشش کریں جس سے جنتا کا مورال اٹھے۔ گاندھی جی کا جو نعرہ ستیہ اور اہنسا کا تھا اس کا نقشہ ایک ایک کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ اگر دیش کو اٹھانا ہے تو سچائی سے اٹھانا ہے۔ فریب سے نہیں اٹھانا ہے میری بہن کے پاس کتنا ہے۔ میں اس بات کو نہیں کہتا۔ اس وقت کسی کی جائیداد پر ہمیں بحث نہیں کرنی ہے بلکہ گولڈ پر بحث کرنی ہے۔ جب وہ معاملہ آئے گا تب اس پر بھی بتاؤں گا۔ ابھی تو گولڈ کی بات چل رہی ہے۔ میں حب الوطنی کے نام پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا بل نہ لائیں جس سے سپریم کورٹ میں آپ کی نندا ہو۔ اگر جینا ہے تو اگیز کیوٹو کو بھی جینا ہے اور جوڈیشری کو بھی جینا ہے۔ ورنہ تو پھر لا آف دی گل ہو جائے گا جیسا کہ مجھے ڈر ہے۔ آج ارجن اروڑہ سامنے آئے ہیں کانگریس سے بغاوت کرنے کے لئے اور کل پتہ نہیں اور کون کون بغاوت کرنے لگیں گے۔ اس لئے آپ ایسا نہ کیجئے بلکہ محبت سے ہمارے دل جیتئے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کے سیوک ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہر اچھے امور میں آپ کا ساتھ دیں گے۔]

श्री शिव नारायण (बस्ती) : गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है—यह नारा इस देश में लगा था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस गोल्ड कन्ट्रोल कमेटी में मैं मेम्बर रहा हूँ, कितने आदमियों को इसमें एग्जामिन किया गया लेकिन एक ने भी यह लूपहोल नहीं बताया कि गोल्ड स्मगलिंग कैसे होता है। बाम्बे में कांग्रेस प्रेसीडेन्ट ने यह अश्योरेन्स दिया था कि सरकार इस बिल को वापिस लेगी। मैं कहता हूँ कि आप ऐसा बिल क्यों लायें, ऐसा कानून क्यों बनायें जिससे गरीबों को तकलीफ हो, वे बेरोजगार हों। मधोक जी ने ठीक कहा—अब दो सौ की जगह पर चार सौ देने पड़ते हैं। बेटी की शादी में कुछ जेवर जरूर देना पड़ता है—चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा हो हर एक को देना पड़ता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह बिल वापिस हो। इसमें न तो मोरारजी भाई का दोष है और न सेठी जी का दोष है बल्कि इस फाइनेन्स डिपार्टमेंट का दोष है जो कि इस तरह के गलत बिल बनाता है जिसने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की नाक कटती है। मैं चाहूंगा कि आप इस डिपार्टमेंट को ठीक करें। आज जो स्मगलिंग हो रही है उसका सारा लाभ अफसरशाही को है। ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में प्रजातन्त्र और कांग्रेस जिंदा रहे तो इस कानून को वापिस लें और नया कानून ड्राफ्ट करके यहां पर पेश करें।

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur) : Mr. Chairman ; One of the greatest misfortunes of this country has been that there is absolutely no reliable and comprehensive public opinion institute or opinion gathering forum due to which government brings in certain pieces of legislation, in complete disregard of public opinion. The genesis of this Bill lies in the obstinate and unimaginative measures which were once upon a time brought forward by an unimaginative Finance Minister. In the entire country there were protests that it is neither going to help the government in whatever its policies were, nor is it going to help at all to check smuggling of colossal quantities of gold into this country, because silver was found to be such an easy carrier and the foreign exchange and the currency notes that are also brought in in exchange have made it completely impossible that this Bill will ever have an impact on Indian society and our economic system.

The arguments which have been brought forward thus far are very sound arguments, namely, that persons who have no faith in the economic policies and the performance

of this government are not going to give up the lure either of gold or silver as long as he or she considers that it is a superior mode of investment. As far as that aspect is concerned, the late Shri Lal Bahadur Shastri had the courage to attack the lure for gold, by leading the people concerned. Now that the government is bringing forward legislation to remove the lure for gold and other social obscurantism which is strangulating this country, it is very neces- sary that the Prime Minister has to give a lead to the people by her own performance. She has to give a positive lead to the women of this country and the families to give up their lure for gold. On the other side, in economic matters we have to pursue a policy by which the value of our money may not go down from time to time.

I have been fighting against the smuggling of silver for the last two yearss, not only when Shri Morarji Desai was here, but also with the Prime Minister and with the customs officers. It is a great shame and I think I can only suspect that there is no will to break this ring. Otherwise, I cannot understand why, given the might of this empire of the Government of India and the State Governments, a check cannot be put on such undesirable activity which is reported day after day in newspapers of this country in very normal terms. A hover craft was introduced for a few weeks as a control measure and it had a salutary effect, as far as smuggling was concerned. Now, all of us from all sides of the House would like to put a check on smuggling. But we do not see any will or effort on the part of government to put a complete check as far as smuggling is concerned. There is absolutely no sincere effort to break this racket. Therefore, this entire legislation with the proposed amendment in the shape of the Bill now, is going contrary to what the public wants and is going to be completely futile.

सभापति महोदय : साढ़े पांच बजे से चूंकि दूसरी डिबेट है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : नियमों के अनुसार यह पास नहीं हो सकता है। आप ने अमेंडमेंट स्वीकार किया है तो थर्ड रीडिंग आज पास नहीं कर सकते हैं।

SHRI P. C. SETHI: No amendments have been accepted today.

श्री शिकरे (पंजिम) : सभापति जी, मैं विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि कानून तो हम अच्छा अच्छा बनाते हैं, लेकिन क्या अच्छा कानून बनाने से ही काम चल सकता है? मैंने इस विधेयक को सपोर्ट इसलिए दी कि इस का उद्देश्य अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य जो है। इधर का माल उधर जाता है और उधर का माल इधर आता है, यानी जो स्मगलिंग होता है उस पर प्रतिबन्ध लगे। लेकिन हम देखते हैं, जैसा कि अभी अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, कि हिन्दुस्तान में अभी भी एक हजार करोड़ रु० का सोना स्मगिल होता है। हमने हूवरक्राफ्ट खरीदा है और वह काम में लाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस स्मग्लिंग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए यह बिल काम में लाया जाना मुश्किल है क्योंकि रात में जो जहाज आते हैं वह स्मग्लिंग करते हैं। उन पर हम कैसे प्रतिबन्ध लगायें?

मैं गोआ की बात रखना चाहूंगा। गोआ से आयरन ओर और खनिज मैंगनीज का एक्सपोर्ट होता है। गोआ के कुछ आयरन ओर के एक्सपोर्टर हैं कहा जाता है कि यह उन का एक ही धन्धा है। लेकिन मुझे तो इसके बारे में शक है। कम से चालीस पचास स्टीमर रोज गोआ हार्बर पर आते हैं। क्या आप समझते हैं कि वह केवल खनिज लोहा लेने के लिए आते हैं? मेरा तो खयाल है कि वहां स्मग्लिंग आफ गोल्ड होता है। वह गोल्ड किलो में नहीं, मनों में नहीं बल्कि टनों में होता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि गोआ डामन और ड्यू तीन स्पाट ऐसे हैं जहां से स्मग्लिंग होती है लेकिन आप उन को इस कानून से रोक नहीं सकते। पोर्चुगीज के जमाने में गोआ में स्मग्लिंग होता था। सरकार भी स्मग्लर्स को सुविधा देती थी। दुःख की बात यही है कि अभी भी उसी प्रमाण में वहां स्मग्लिंग होता है। इसलिए ऐसे ऐसे कानून

[श्री शिकरे]

पास करने से कोई फायदा नहीं है। कानून अमल में लाने के लिए आप के पास मशीनरी है या नहीं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं तो यही कहूंगा कि यह मशीनरी हमारे पास नहीं है। इस लिए हमारे बहुत अच्छे अच्छे कानून फेल होते हैं।

आप ने अभी सुना होगा कि 100 और 1,000 रु० के नोट खत्म किये जाने वाले हैं। हम ने सुना है कि जो बड़े बड़े नोट हैं 100 और 1,000 रु० के लोगों ने जब उन से सोना खरीदना शुरू किया तो सारा सोना अन्डरग्राउंड चला गया। हमारे भारत का पुराना नाम स्वर्णभूमि था। लेकिन आज स्वर्ण भूमिगत हो रहा है। इस कानून को पास करने के बाद हम अपने उद्देश्य में कितने सफल हो जायेंगे यह देखने की बात है। हमने इस विधेयक के लिये सम्मति दी है, इसका स्वागत किया है। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे जो कायदे हैं उन को अमल में लाने के पहले जो हमारा शासन-तन्त्र है हम को उस को देखना होगा कि उनका मोराल क्या है। अगर हमारे देश में अच्छा केडर न हो तो इस तरह के कानून अमल में नहीं आते। हम जानते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कानून बन गया है, लेकिन अगर उस पर अमल अच्छी तरह से नहीं होगा तो उसका फायदा जो रिक्शे वाले हैं, टांगा वाले हैं, उन को कैसे मिलेगा, किसानों को उसका फायदा कैसे मिलेगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इसके बारे में ध्यान दे, नहीं तो इस तरह के कायदे कानून बनाने से कुछ फायदा नहीं है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम यह विधेयक आज पास नहीं कर सकते हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 93(2) के अन्तर्गत है। इस विधेयक पर संशोधन स्वीकार किये गये हैं। आज भी संशोधन रक्खे गये हैं। इसलिए आप उनको आज नहीं ले सकते।

सभापति महोदय : आज जो संशोधन आये हैं, मैंने उनको अस्वीकार कर दिया है क्योंकि काफी दिनों से यह बिल सामने था और संशोधन पहले आने चाहिएं थे।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : हमें इस पर बोलना है।

सभापति महोदय : आप श्री भोगेन्द्र झा से पूछ लें। अगर वह अपनी आधे घंटे की चर्चा न उठाये तो आप को मौका मिल सकता है। समय अधिक नहीं है। छः बजे हमको एडजर्न करना है। अगर वह हां कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज: अब भी तो साढ़े पांच बज चुके हैं और हम बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय : जी नहीं। मंत्री महोदय अब बोलेंगे।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ।

सोने की और सोने के जेवरों की मांग नित्य बढ़ रही है। ब्लैकमार्किटिंग चलती हैं और ब्लैक का जो रुपया कमाया जाता है वह केवल सोने में रखा जाता है। उसको देखते हुए और आभूषणों की माँग को देखते हुए, जो आप स्वर्ण कंट्रोल करने जा रहे हैं यह कैसे सफल होगा, यह मैं आप से जानना चाहता हूँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : Mr. Chairman, Sir, I will not go into the detailed arguments which I had given while replying to the debate in the course of the first reading of the Bill. As far as the main object of the Gold Control Act, 1968 is concerned, I have elaborately explained what necessitated the Gold Control Act at that period of time. But subsequently from time to time many changes came into this. Initially, there was 14 carat restriction. Then, that went away as far as goldsmiths were concerned

and, later on that restriction went away with regard to dealers also. As far as the manufacture of gold ornaments is concerned, they can be manufactured with any carat whatsoever. There is no restriction on that. I have also amply explained that.

As far as the possessions of gold ornaments is concerned, there is no intention of the Gold Control itself to dispossess the public or the persons from the gold ornaments. There is no restriction on its possession. The only restriction is that if the ornaments are of more than 4000 grammes, the value totalling Rs. 60,000, in that case, a declaration has to be made. It is not to dispossess gold ornaments. The only restriction is with regard to the possession of primary gold.

Then, the entire purpose of the Gold Control Act, 1968, is it stands, is to regulate the gold control trade so that the imports may be restricted. It may be anybody's guess and one can say that smuggling has increased.

But our seizures in the last few years go to show that seizures have been mounting up and in the last few years gold worth about Rs. 27 crores has been seized.

Apart from that, the people have been punished under the Gold Control Act and gold worth about Rs. 5 crores has been seized even under the Gold Control Act. Even if smuggling is there—I will not deny; the smuggling is there—we are making all possible efforts. Mr. Somani referred to that question. The efforts are being made. Actually, we are acquiring Hoover crafts; we have taken other steps also. The Customs Act has been amended. Even restrictions have been but on the movement of gold. All possible steps are being taken to check smuggling.

The question was asked by Shri Prakash Vir Shastri and also by Shri Abdul Ghani Dar with regard to the deposits of gold for the currency issued. The total notes issued as on 25-7-69 was Rs. 3,576·75 crores. This was backed to the extent of Rs. 182·53 crores by gold coin and bullion and Rs. 200·89 crores by foreign securities and the balance is also backed by rupee coin and Government of India securities. All these provisions are more than fully covered by the Reserve Bank Act under section 33 (2). Therefore, whatever currency is under circulation, according to the Reserve Bank Act, under section 33 (2) it is more than amply covered. Therefore, there should be no fear on that account.

During the course of the debate, many questions were raised. As I have already said, as far as this Bill is concerned, this does not change the scheme or the substance of the Gold Act. This has been brought only in view of the fact that certain provisions of the Gold Control Act and certain sections were held invalid and, to that extent, we have made an improvement.

Apart from this, insinuations have been made in this House. Even the other day, the hon. Member, Shri K. L. Gupta, made a reference about the Prime Minister and her ornaments. I had no intention to touch upon the subject. But again that controversy has been raised in this House by Shri Limaye. It has become the tendency, whether it is relevant to the discussion in the House or not or whether it is appropriate or not, to malign the Leader of the House or other leaders. I would like to say, that the position as far as gold ornaments are concerned, has been amply clarified by the answer that I had given......

SHRI GEORGE FERNANDES: It does not.

SHRI P. C. SETHI: As far as gold ornaments of the Prime Minister are concerned, she made donation of gold ornaments during the time of the Chinese aggression and the value, the content and the quality of the ornaments which she donated at that time was quite substantial.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : "सबस्टैंशल" माने कितना ?

श्री प्र० चं० सेठी : वह आन्सर में दिया गया है ।

It was never said by anybody or by her in any statement that she had donated all the jewellery. The entire country knows about that family and the sacrifices that have been made by that family and the position of the family right from the time of Pandit Motilal Nehru to Pandit Jawaharlal Nehru. This jewellery is not possessed by her as if she has purchased it; this jewellery has come to her from the family. Gold ornaments were donated during the Chinese aggression, but the other...

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे हैं, उस पर बहुत बहस हो सकती है ।

श्री प्र० चं० सेठी : हो सकती होगी ।

Please allow me to say this. As far as the other jewellery is concerned, that was not donated and that is the position which has been clarified. Day in and day out all these questions are raised.

I would only like to say that the problem is there, certainly smuggling is there. It is difficult to say anything at this stage because in regard to such measures which are of socio-economic nature and where the traditions are centuries old, it is difficult to move in a short span of time. We will have to go into that aspect more carefully. The point has also been raised by the hon. members whether Government will go into that aspect again. The House and Government, as I have said during the First Reading also, are always competent to go into the entire aspect of the working of the Gold Control Act. At the present moment I am not in a position to commit myself to any assurance. I would only say that we will try our best to improve upon the situation both on the front of smuggling and also on the front of giving all possible facilities to the trade and the goldsmiths who are concerned.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.38 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

(Shri Prakash Vir Shastri [*in the Chair*]**)**

Disciplinary action against P & T employees

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : सभापति महोदय, एक साल पहले केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा जो एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का एलान हुआ था, इस आध घन्टे की बहस का विषय उससे सम्बन्ध रखता है । मैं इस समय उस बात में नहीं जाऊंगा कि कर्मचारियों को किस कारण वह सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ी थी । जैसा कि सब को ज्ञात है, उनकी एक मांग थी कि उन्हें जिन्दा रहने के लिए एक निम्नतम वेतन दिया जाये और उस मांग के औचित्य पर कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं । उस वक्त सरकार ने न तो वे मांगें स्वीकार की और न ही वह किसी तर्कपूर्ण समझौते के लिये तैयार हुई । उसने केवल दमन-चक्र का रास्ता अपनाया जिस का नतीजा हम लोग जानते हैं ।

डाक-तार विभाग में 19 तारीख को हड़ताल होने वाली थी । सरकार एक दिन की हड़ताल से सन्तुष्ट नहीं हुई । उसने दो दिन पहले ही दिल्ली दमन-चक्र चालू किया, जिस का नतीजा यह हुआ कि एक दिन की हड़ताल तीन दिन की हड़ताल बन गई और उस की सोलहों आने जिम्मेदारी सरकार पर है । डाक-तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ ने केवल एक दिन की हड़ताल का एलान किया था और वह हड़ताल 19 तारीख को होनी थी । लेकिन सरकार के दमन और बहुत से कर्मचारियों की गिरफ़तारी के कारण वह हड़ताल तीन दिन—17, 18 और 19 तारीख की हो गई ।

19 को जो हुआ उसको हम सभी जानते है । सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के ऊपर जो दमन हुआ, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई, 14 की जान गई, 14 कर्मचारी गोली से मारे गये । उस के बाद यह घटनायें हुई जिन का मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ । जब इतना राष्ट्रव्यापी दमन हुआ 14 की हत्या हुई, बहुत से लोगों को नौकरी से बरखास्त किया गया, इस सब के चलते जो देश में विरोध हुआ, उसके बाद में सरकार ने भी महसूस किया और कुछ नरमी का रुख अख्त्यार करने का प्रयास किया । जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया गया है उस में बताया गया है कि 760 अभी भी हैं जिनको काम पर नहीं लिया गया । तो 18 अक्तूबर को पिछले साल केन्द्रीय सरकार की ओर से कुछ जो गल-